26 SEP 1959

फोन नं० १३१५

द्वितीय वार्षिक सम्मेलन, ९,१०,११, अक्टूबर जयपुर

अजमेर डिवीजन पी. डब्ल्यू० डी. एम्प्लाईज यूनियन

स्वागत समिति

चांदपोल बाजार, जयपुर

पत्रांक

दिनांक 24.9.59

श्रीमान् Secretary, A.I.T.U.C.
4. Ashoka Road.
New Delhi.

माननीय महोदय,

अजमेर डिवीजन पी० डब्ल्यू० डी० एम्प्लाईज यूनियन गत चार वर्ष से कार्य कर रही है और अब एक मजबूत संगठन बन गया है। आज इस क्षेत्र के ९८ प्रतिशत कर्मचारी इसके सदस्य है, व राजस्थान के इने गिने संगठनों में से यह एक साधन सम्पन्न व सुदृढ संगठन है।

इसका द्वितीय वार्षिक अधिवेशन राजस्थान की राजधानी जयपुर में ९, १०, व ११ अक्टूबर को होने जा रहा है व राजस्थान के पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर माननीय श्री नाथूराम मिर्धा सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं।

डिवीजन के पी० डब्ल्यू० डी० श्रमिकों का यह एक महत्वपूर्ण अधिवेशन होगा इसे अधिक से अधिक रचनात्मक व श्रमिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

इस शुभ अवसर पर आपसे पधारने की सानुरोधप्रार्थना की जारही है, किन्ही कारणवश आप न पधार सके तो अपना शुभ संदेश प्रेषित कर श्रमिकों का उत्साह बढावे।

विनीत—

प्रताप चन्द शर्मा — स्वागताध्यक्ष

Jhanathan 2419 — स्वागत मंत्री

FORM D

ANNUAL RETURN PRESCRIBED UNDER SECTION 28 OF THEINDIAN TRADE UNIONS ACT, 1926 for the year ending 31st. March 1959.

Name of the Union: THE TEXTILE LABOUR UNION, BEAWAR.

Registered Head Office: BEAWAR

Number of certificate of Registration: 1- 1942-43.

Return to be made by the federation of Trade Union

A. Number of UNions affiliated at begining of year. NIL.

B. Number of Unions joining during the year. NIL.

C. Number of unions disaffiliated during year NIL.

D. Number of unions affiliated at end of yr. NIL

Tgis return need not be made by Federation of Trade Unons:

Number of members on books at the begining of year 2647

Number of member admitted during the year (add) 879

Number of members who left during the year (deduct) NIL

Total number of members on books at the end of the yr. 3326

MALES 3235

FEMALES 291

Number of members contributing to political fund NIL

A COPY OF THE RULES OF THE TRADE UNIONS CORRECTED UPTO THE DATE OF DESPATCH OF THIS RETURN IS APPENDED.

Sd/- Harjiram

SECRETARY

DATED: 30th July '59

FORM D(CONTD.)

POLITICAL FUND ACCOUNT

	Rs	nP		Rs	nP
Balance at the beginning of the year	Nil		Payments made on objects specified in section 15(2) of the Indian Trade Unions Act,1926 (to be specified)	Nil	
Contributions from members at per member....	Nil		Expenses of management (to be fully specified)	Nil.	
	NIL			NIL	

Sd/-.....

TREASURER

AUDITORS DECARATION

The undersigned, having had access to all the books and accounts of the Trade Union, and having examined the forgoing statement and verified the same with the account vouchers relating thereto now sign the same as found to be correct, duly vouched and inaccoudance with the As, subject to the remarks, if any (as aper ANNEXURE A)

Sd/- B.K.VYAS/30-7-59
B.COM. ,A.C.A.?
CHARTERED ACCOUNTANT

The following changesof Officers have been made during the year.

OFFICERS RELINQUISHING OFFICE

Name	Office	Date of relinquishing office
NIL	NIL	NIL

THE TEXTILE LABOUR UNION, BEAWAR

GENERAL FUND ACCOUNT

(From 1st April, 1958 to 31st March,1959)

Income	Rs nP.	Expenditure	Rs nP.
Balance at beginning of the year	19,039.32	Salaries, allowances and expenses of officers	2,177.12
Contributions from the member	7,156.88	Salaries,allowances and expenses of establishment.	1,808.37
Donations	74.00	Auditors fees	Nil
Sale of periodicals,rules etc.	NIL	Legal expenses	NIL
Interest on investment	NIL	Exp. in conducting trade disputes	474.86
Income from miscellaneous sources	979.47	Compensation paid to membersfor loss arrisingout of trade disputes	42.96
		Funeral,oldage,sickness unemployment benefits etc.	262.00
		Educational, social and religious benefits	1,006.66
		Cost of publishing periodicals	NIL
		Rent, rates & taxes	24.00
		Stationery,printing periodicals	823.17
		Exp. incurred u/s 15(j) of the Indian Trade Union Act,1926(:- Affilation fees	197.45
		Other expenses: Misclaneous exp.	205.78
		Balance at the endof the year excess of income	1188.59/20,227.91
	27,249.97		27,249.97

POLITICAL FUND ACCOUNT

Balance at beginning of year	NIL	Payment made on objevts specified in section 16 (2) of the Indian Trade Unions Act, 1936 (to be specified)	NIL
		Expenses of management	NIL
		Balance at the end of Yr.	NIL
	NIL		NIL

Sd/- B.K. Vyas/30.7.59
B.COM.,A.C.A.,
CHARTERED ACVOUNTANT.

Sd/-
TREASURER

SCHEDULE IIIX

(This need not be filled in if the Union come into existance less then one year before the date of application for registarion)

STATEMENT OF LIABILITIES AND ASSETS ON THE DAY OF MARCH 31 1959

Liabilities	Rs	nP.	Assets		Rs	nP.
Amount of General fund:			**Cash:**			
Last Balance	19039.32		In hands of Treasurer		376.47	
Add excess of income	1188.59/20,227.91		With the Central COoperative Bank Ltd. Beawar		4.30	
Amount of Political fx fund		Nil				
Depreciation fund as per last year		3,053.86	**Loans to:**			
			Kesrimal	122.55		
			Gopalsingh	24.00		
Loans		Nil	Kalyansingh	128.75		
			Bhanwarlal			
Other liabilitiies:			Arya	600.00		875.30
Hosiery workers Union, Beawar (deposit)		115.41	**Building:**			
			Last year:	18359.33		
			Addition	790.92/		19,150.25
			Moveble property:-			
			Furniture, Type, Loudspeaker & Books (as per last)			2,990.86
		23,397.18				23,397.18

LIST OF SECURITES

Particulars	Nominal	Market value	In hand of
NIL	NIL	NIL	NIL

Signed: 1 2
3 4
5 6
7 8

Sd/- B.K. Vyas/30-7-59
B.COM.,A.C.A.,
CHARTERED ACCOUNTANT .

FORM D

OFFICERS APPOINTED

Name	Age	Office	Address	Occupation	Date of appointment.
Sri Swami Kumaranand	64	President	Beawar	Tradeunionist	26-11-57
" Kalyan singh	38	Vice "	"	"	"
" Keshar singh	36	"	Rajawas	Mill worker	"
" Avinash Chander Lata	38	"	Beawar	"	"
" Keshriwal	42	General Secretary	"	Trade Unionist	"
" Rameshwar	28	Ass.Secreaty	"	Mill Worker	"
" Harji ram	23	"	"	"	"
" Govind singh	32	Treasurer	"	"	"

Sd/- Harjiram
SECRETARY

"ANNEXURE A "

Auditors report on the accountsof the Textile Union

(Regd.) Beawar fr the year ended 31st March, 1959.

VOUCHERS:

Vouchers No. 55	-	Rs 26/- towards stationary a/c. Bill from R.J. Friends, Beawar wanted for our verification.
-------------224	-	Rs 60/- paid to legal advisers. Receipt wanted for this item for our verification.
-------------230	-	Rs 110/- Paid to Shri Punamiaji. Details wanted of this amount.
-------------311	-	Rs 34/11/- Spent towards tournament details wanted of this amount.
-------------366 and 370		Receipts from the Donee wanted.

GENERAL NOTE:-

(a) Carelessness in paying the Electricity Bill should not be allowed. This should be cheked. Due to this the Union was not able to receive the rebate on Bill 291 and 369 Rs 3.25 and Rs 2.81 respectively asthe payment was made late.

(b) The union must keep the copy of the matter of the Telegrams which are sent.

Dated 30th July'59

Sd/- B.K. Vyas/30-7-59
B.COM., A.C.A.,
CHARTERED ACCOUNTANT.

राजस्थान बैंक एम्पलाइज यूनियन कोटा

राजस्थान बैंक के कर्मचारियों का आन्दोलन क्यों ?

बैंक एवार्ड के तहत बैंक कर्मचारियों को इलाज के लिये एक निश्चित रकम तक बैंक द्वारा देने की व्यवस्था है। कोटा में बैंक आफ राजस्थान ने डा० मोहनलाल जी जरेठ को बैंक डाक्टर के पद पर नियुक्त कर रखा बताया। लेकिन ये डाक्टर साहब कर्मचारियों को समय पर उपलब्ध नहीं होते और होते भी हैं तो बीमार को घर पर देखने जाने से इनकार कर देते हैं। लिहाजा कर्मचारियों को समय पर उपलब्ध दूसरे वैद्य या डाक्टर से इलाज कराने को बाध्य होना पड़ता है। डाक्टर साहब के खिलाफ इस कारण से एक लम्बे अरसे से असन्तोष चला आ रहा था और कोटा शाखा के मैनेजर साहब इस सम्बन्ध में कर्मचारी कई बार शिकायत भी कर चुके थे लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।

हाल ही में बैंक के एक कर्मचारी श्री रतनलाल जैन बीमार हुए, उन्होंने डाक्टर मोहनलालजी को २-३ बार तलाश किया जब वे नहीं मिले तो लाचार होकर वक्त पर उपलब्ध वैद्य से इलाज कराया और जब उनका बिल नियमानुसार बैंक में पेमेंट के लिये पेश किया तो मैनेजर साहब ने उस पर डा० मोहनलालजी की तसदीक कराकर लाने को कहा। श्री रतनलाल जैन ता० १७ मार्च ५६ को जब डा० मोहनलालजी के पास बिल पर हस्ताक्षर कराने गये तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। श्री रतनलाल जैन ने उनसे प्रार्थना की कि चूंकि आप बैंक के वैतनिक डाक्टर हैं अतः जब तक आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे मेरे बिल पास नहीं होंगे। डाक्टर साहब उनकी प्रार्थना स्वीकार करने के बजाय उल्टे नाराज हो गये और उन्होंने श्री रतनलाल को धक्का देकर अपनी डिस्पेन्सरी से निकाल दिया। श्री रतनलाल जैन ने डाक्टर मोहनलालजी के इस दुर्व्यवहार की शिकायत उसी दिन बैंक में लिखकर दे दी। जब दूसरे कर्मचारियों को इस घटना का पता चला तो उनको रोष आना लाजमी था। उन्होंने सर्व सम्मति से कोटा बैंक मैनेजर साहब से डाक्टर साहब को बदलने की प्रार्थना की।

बैंक अधिकारियों ने जब कर्मचारियों की इस वाजिब माँग की ओर ध्यान नहीं दिया और अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दी जाने लगी तो कर्मचारियों अपनी माँग को यूनियन के सुपुर्द कर दिया। यूनियन ने बैंक के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिये एक सप्ताह का नोटिस दिया कि यदि ता० २६ मार्च तक इस वाजिब माँग का सन्तोषजनक निपटारा नहीं किया गया तो ता० २७ मार्च से कर्मचारी ओवर टाइम में काम करना बन्द कर देंगे। जब इस पर भी अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया तो यूनियन ने ता० ३० मार्च की शाम से शाम सवेरे राजस्थान बैंक के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।

बैंक के उच्च अधिकारियों ने फिर भी वाजिब मांग की ओर ध्यान न देकर प्रतिशोध एवं दमन का रास्ता अपनाना ही ठीक समझा। साम, दाम, दण्ड, भेद की नीति का दौर दौरा शुरू हो गया। कर्मचारियों की आक्समिक छुट्टियों का वेतन काट लिया, यूनियन के प्रेसीडेंट श्री रतनलाल जैन व सेक्रेटरी श्री दुर्गाशंकर का क्रमशः टौंक व पाली ट्रांसफर कर दिया। एक तरफ कोटा के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बीच में डालकर समझौते की बातचीत चलाई पर दूसरी तरफ दमन का शिकंजा कसते रहे। इस बीच बैंक के रीजनल मैनेजर श्री बिरधीलाल सेठी, जनरल मैनेजर श्री द्वारकालाल गुप्ता दो बार कोटा आ चुके हैं। कर्मचारी सम्मानपूर्ण समझौते के लिये हर समय तैयार हैं। परन्तु इन अधिकारियों की विशेष कर रीजनल मैनेजर श्री सेठी की हठ धर्मी के कारण मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। इस बीच भारत सरकार के समझौता अधिकारी भी आये। सारी बात तय हो गई थी पर एन वक्त पर रीजनल मैनेजर श्री सेठी की हठधर्मी ने फिर रोड़ा अटका दिया।

बैंक कर्मचारी अपनी वाजिब मांग पूरी कराने के लिये दृढ़ हैं। इस आतंक व दमन ने उन्हें डराने के बजाय उनका उत्साह चौगुना बढ़ा दिया है और अपनी वाजिब माँग को पूरा कराने के लिये वे हर कुर्बानी देने को तैयार हैं।

इस दमन का विरोध करने के लिये यूनियन के आदेशानुसार कर्मचारियों ने ता० ११ अप्रैल को १ घण्टे के लिये 'कलम रोक' हड़ताल रखी। बैंक अधिकारियों को कर्मचारियों की इस संगठित शक्ति के आगे थोड़ा तो झुकने को मजबूर होना पड़ा है और उन्होंने यूनियन के प्रेसीडेंट व सेक्रेटरी के तबादलों की अनुचित व अवैधानिक आज्ञा वापस ले ली है। लेकिन उन्होंने फिर भी बदले की भावना नहीं छोड़ी और ये तबादले मंसूख करके अब एक अन्य यूनियन के सक्रिय कार्यकर्ता श्री बृजमोहन खण्डेलवाल का तबादला कर दिया। इससे बैंक कर्मचारियों में भारी रोष फैल गया व इसके विरोध में ता० ३० को उन्होंने १ घण्टे की 'कलम रोक' हड़ताल रखी।

इतने दिन निकल जाने पर भी बैंक अधिकारियों द्वारा वाजिब माँग के स्वीकार न करने पर यूनियन ने ता० १ मई से सीधी कार्यवाई शुरू कर दी है। ता० १ व २ मई को १ घण्टा कलम रोको हड़ताल रखी और ता० ४ मई से सप्ताह के अन्त तक २ घण्टा रोज 'कलम रोको' हड़ताल रखेंगे।

यूनियन की वाजिब मांग को स्वीकार करने के बजाय बैंक का दमन-चक्र बढ़ता जा रहा है। मेडीकल सर्टीफिकेट होते हुए भी कर्मचारियों की बीमारी की छुट्टियां कैंसिल कर दी, एक को चार्ज शीट दे दी गई है, और सब कर्मचारियों को रोजाना कुछ न कुछ नोटिस मिलता ही रहता है।

बैंक कर्मचारियों की केवल एक सीधी सी मांग है कि उस डाक्टर से जिस पर उनका विश्वास नहीं है उन्हें इलाज कराने के लिये मजबूर नहीं किया जाये तथा आन्दोलन के कारण जिनको जो सजा दी गई है वह मंसूख की जाकर किसी के खिलाफ कोई प्रतिशोधात्मक कार्यवाई नहीं की जाये।

हम सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों एवं कोटा की आम जनता से पूछना चाहते हैं कि हमारी मांग यदि किसी प्रकार भी अनुचित हो तो हमें बताने की कृपा करें ताकि हम अपना आन्दोलन वापस ले लें अन्यथा उन्हें राजस्थान बैंक के उच्चाधिकारियों को समझाना चाहिये कि वे हमारी इस छोटी सी मांग को स्वीकार कर लें ताकि यह सघर्ष की स्थिति समाप्त हो। हमारे इस आन्दोलन के कारण जनता को असुविधा हो रही है उसके लिए हमें हार्दिक खेद है पर क्या करें हम भी मजबूर हैं।

अन्त में हम स्पष्ट कर दें कि बैंक कर्मचारी अपनी न्यायोचित मांग के लिए चट्टान की तरह दृढ़ हैं। यदि बैंक अधिकारियों की ओर से दमन बन्द नहीं हुआ तो हमें नहीं चाहते हुए भी मुकम्मिल हड़ताल व भूख हड़ताल जैसे कठोर कदम उठाने को बाध्य होना पड़ सकता है।

हमारी बैंक के उच्चाधिकारियों से एक बार फिर प्रार्थना है कि वे हमारी न्यायोचित व छोटी सी माँग पर फिर से उदारता पूर्वक विचार करें और इसे प्रतिष्ठा का सवाल न बनायें तथा सभी के हित में इस मांग को पूरा करके इस संघर्ष को समाप्त करायें।

बुलेटिन नं० १ | विनीत—

कोटा ता० ७-५-५६

राजस्थान बैंक एम्पलाइज यूनियन, कोटा

हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है!

आदर्श प्रेस, कोटा।

OOK POST

श्री SPI

(संसद सदस्य) (कौम्यूनिस्ट पार्टी आफ इंडिया)

3/5
7/5

नई दिल्ली

राजस्थान कपड़ा मजदूर फेडरेशन ब्यावर २५-८-५५

५६

प्रिय साथी

राजस्थान में कपड़े के श्रमिकों पर इस समय मिल बन्दी, लेआफ, पगार समय पर नहीं देने आदि के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। इधर मालिकों की उस हमले की आड़ में वर्क लोड और छटनी की योजना हमेशा रही है और आजकल ही मंहगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती रही है। पगारों में कोई इजाफा हो नहीं रहा है। और सरकार भी मालिकों का खुलकर साथ दे रही है। देशपाण्डे कमेटी की रिपोर्ट को अभी तक लागू नहीं किया है। इन सारी ~~[illegible]~~ परिस्थितियों पर विचार करने हेतु एक मीटिंग एडहॉक कमेटी की, जयपुर में स्टेशन के पास वाली धर्मशाला में शाम को 6 बजे ता: 3-९-५५ को होगी।

आपसे अर्ज है कि आप समय पर पधारें और मीटिंग में हिस्सा लेकर कामयाब बनायें। डेपूटेशन वगैरह भी मिलने की आवश्यकता होगी तो वहीं मंत्रीयों से मिल सकेंगे। विशेष मिलने पर। धन्यवाद

आपका साथी

[illegible signature]

कन्वीनर,

रा. क. म. फे.

साथी

मंत्री जी

A.I.T.U.C. देहली

राजस्थान बिजली नल मर्कर्स फेडरेशन.

परिपत्र नं० १८. तारीख ३० जून, १९५९.

साथीयो,

इस परिपत्र के साथ आपको कार्यालय की चौथी मीटिंग की कार्यवाही की रिपोर्ट व मांगपत्र के प्रस्ताव का कुछ भाग भेजा जारहा है, आशा है कि आप इसको पूरे ध्यान से पढकर इन पर अमल करने का पूरा प्रयत्न करेंगे.

१ से ७ जुलाई तक बैलेट लेने का कार्य बडी सरगर्मी से चालू करदेना चाहिये. इस सप्ताह को बैलेट लेने के साथ २ मांग सप्ताह के रूप में मनाये, जिसमें सेक्शन वाईज मीटिंग आदि का प्रोग्राम बनाना चाहिये व हर एक मजदूर को मांगों के बारे में जानकारी करानी चाहिये. मांगों का खूब प्रचार होना चाहिये, होसके तो एक पेम्फलेट भी निकालदा चाहिये, जिसमें इन मांगों को दोहराया जाना चाहिये. बैलेट बाक्स पब्लिक मीटिंग करके खोलना चाहिये और जलूस बनाकर बैलेट बाक्स पब्लिक मीटिंग में ले जाये, और जलूस के साथ प्ले कार्ड्स काफी संख्या में होने चाहिये, और इन पर अपनी मौजूदा मांगो के मुख्य बारे होने चाहिये. भाग २ की मांगों के मुख्य नारे होने चाहिये. भाग १ की मांगों का भी खूब प्रचार करें, और काफी प्ले कार्ड्स उन मांगों से लिखे जाने चाहिये. बैलेट बाक्स शहर के किसी माननीय नागरिक से खुलवाकर, व फौरन तार द्वारा फेडरेशन को निम्न लिखित पते पर सूचना दें.

पता:-

श्री० रोशनलाल, ३६ शार्दूलनगर, बीकानेर.

इस मांग सप्ताह व बैलेट के नतीजे का समाचार पत्रों द्वारा भी खूब प्रचार करें. व जयपुर के दैनिक अखबारों को समाचार भेजना न भूलें.

जुलाई माह में स्पेशल फन्ड जमा कराना न भूलें व कार्यकारिणी के फैसले के अनुसार, २५ प्रतिशत फेडरेशन को भेजना न भूलें. पता ऊपर के मुताबिक

प्रस्ताव व रिपोर्ट छपवाने के लिये जिन यूनियनों ने फौरन स्पेशल चन्दा भेजने का वादा किया था, वे, फौरन उपरोक्त पते पर भिजवादें व जो यूनियनें मौजूद नहीं थीं, वे भी अपनी योग्यतानुसार शीघ्र ही कुछ न कुछ भिजवादें संघर्ष की वजह से खर्चा खूब बढ गया है.

१२ तारीख से होने वाली जनरल कौंसिल की मीटिंग में समस्त यूनियनें के प्रतिनिधि आने चाहिये व उस मीटिंग के मौके पर सेक्शन वाईज मीटिंगें भी होंगी, यानी वाटर वर्क्स, कन्स्ट्रक्शन स्टाफ, हास्पिटल स्टाफ, और प्राईवेट पावर हाउस स्टाफ आदि आदि की अलग अलग मीटिंगें भी

कृपया पन्ना उलटियेगा.

भी होगी, जिसमें उनकी समस्याओं पर विचार किया जायेगा. इसलिये इन डिवीजन के प्रतिनिधियों से खास तौर पर निवेदन है कि मीटिंग में अवश्य पधारें.

पावर हाउस्ड यूनियनों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने यहां से मिनिस्ट्रियल स्टाफ के अधिक से अधिक प्रतिनिधि राजस्थान विद्युत कार्यालय कर्मचारी संघ के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने के लिए भिजवायें.

हड़ताल बैलेट को कामयाब बनाइये व जनरल कौंसिल की मीटिंग व अधिवेशन में जरूर आइये.

अभिनन्दन के साथ.

आपका साथी,

:रोशनलाल:

जनरल सैक्रेटरी.

22 JUL 1959 प्रेषक सेवक रामदास साथ झालावाड़ राज्य

[illegible] झालावाड़ राज.
ता: २०-६-५८ 8/

डॉ. राजबहादुर गौड़, सस्नेह अभिवादन 56

आपका लेटर ११ जुलाई सन् ५८ का प्राप्त होने पर अर्ज किया जाता है कि पत्र का उत्तर देने में देर हुई इसका मुझे खेद है। सेण्डस्टोन की हड़ताल समाप्त २४ जून सन् ५८ को लेकर इसके बाद रतलाम के आने पर रेटें मुकाबलतन बड़ा में ५) रु. और छोटी फर्शियों में ७) रु. सैकड़ा बढ़ोत्री पर हुई किन्तु

माइन्स एक्ट की सुविधा
अभी तक मजदूरों को प्राप्त
नहीं है। हड़ताल के
दिनों का मुआवजा
सरकार ठेकेदारों से दिलाने
को तैयार नहीं है। राजस्थान
सरकार माइन्स एक्ट की
व्यवस्था करने में तैयार
नहीं (मजदूर परेशान है)
रतन लाल हिन्दुस्तानी
सेक्रेटरी
पत्थर खदान मजदूर [illegible]

पोस्ट कार्ड

केवल पता

POSTAGE
INDIA
5 N.P.

2 JULY

का. राजबहादुर गौड़
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन
कांग्रेस आफिस 4 अशोक
रोड नई दिल्ली
पो० आ० नई दिल्ली

~~Here~~ Changed:
Roshan Lal
36, Sadulnagar,
Bikaner.

Jaipur.

Dt. 5. 8. 59

56

Dear Com. Gaur,

Sorry I could not meet you on 3rd, as we were to return immediately.

It is gathered that the working Committee of the AITUC is meeting on from 6th to 8th Aug, 59. Com. Mohan Punamia is also expected to participate. Hope you will know the progress of the Beawar Meeting from him directly.

I had sent an Article on the Rajasthan Elec. & Water Workers' Federation which, I hope, you might have received and gone through. Its publication was delayed, I was so informed by the AITUC office ~~for~~ the meeting of the General Council and Conference of the Sangh at Bikaner. They have ~~been~~ now taken place and the following is the out-come of the same.

As far as the Federation is concerned, the main resolution of the General Council is enclosed herewith. Negotiations have started seriously and therefore we have extended the time for final decision.

As regards Rajasthan Vidyut Karyalaya Karamchari Sangh, it has been formed inspite of many hurdles on the part of some disruptionists (which is not to be mentioned at present) ~~the~~ Constitution has been adopted and the charter of Demands has been framed. The demands are, Recognition of the Sangh, Service Rules and Regulations, Promotion to accepted employees etc. Shri Ramchander Badgujar and Shri Panna Lal, who are party sympathizers have been elected as President and Secretary respectively.

Hope you will kindly now conclude the Article with suitable modifications and arrange for its publication early.

I have not heard anything from Madras for the meeting of the Executive Committee of the All India Federation of Electricity Employees. None has replied neither Com. Ganesan nor Com. V.G. Row nor Com. S.C. Krishnan, General Secretary. Will you kindly remind them through the Comrades from Madras who come to Delhi for AITUC working Committee meeting?

Can you, com. get me a copy of Annual Financial Statements of State Electricity Boards of each State for the year 1959-60 from our Assembly Parties. The statement is annually placed at the table of the House and distributed among the M.L.As. We have got many M.L.A's in each State Assembly and they can easily spare one.

With greetings.

Yours faithfully

R Lal

N.B. Kindly note the change in address as I have shifted my H.Q. to Bikaner.

Add:- Roshan Lal, 36 SADUL NAGAR, BIKANER

RAJASTHAN ELECTRIC & WATER WORKERS FEDERATION.

R E S O L U T I O N.

The General Council of the Rajasthan Electric & Water Workers Federation in its meeting dated 25th to 28th July, 1959 held at Bikaner under the Chairman-ship of Shri Narendra Pal after reviewing the result of strike ballots and after hearing the reports of the General Secretary of the talks held with the authorities, more particularly with the Chairman of Rajasthan State Electricity Board and the Superintending Engineer, P.H.E. Department (Water Works), resolves that although the results of the strike Ballots is substantially in favour of strike & the expression of opinion by the Workers in such a high percentage i.e. more than 75% leaves no doubt in mind of the mood of the workers, yet considering the report of the General Secretary in which the authorities are reported to have once again assured that the demands will be met soon now & realising that there are resonable grounds to believe in their assurances this time, it is expedient & in the interest of both the workers and the orginisation that the strike notice should not be enforced for the time being and instead an Action Committee with the following personals is formed to carry on the negotiations with the authorities.

1. Shri Narendar Pal Chairman. 2. Shri Fatch Singh. 3. Shri Krishan Kant, 4. Shri Achal Singh, 5. Shri Abdul Hamid, 6. Shri Shyama Charan 7. Shri Jai Chand, 8. Shri Rameshwar Lal Pandey Convenor.

The Action Committee will report their progress to the executive committee after one month and the Executive committee is fully empowered to take any decision on the report of the Committee whatever they deem fit.

The Action Committee will also be responsible for organising all the affilitied unions for any eventuality in the future.

General Secretary.

Circular No. 21 Dated 3rd August, 1959.

Copy forwarded for information and necessary action to Secretary AITUC, New Delhi.

All concerned are requested and expected that they will kindly extend full co-operation to the Action Committee.

GENERAL SECRETARY.

29 JUL 1959

(151)

स्टोन क्रेशर्ज मजदूर सभा
रामगंज मण्डी (कोटा)

प्रिय साथी

ता. २६ जोलाई सन १९५९

आप का ११-६-५९ का भेजा हुआ पत्र मिला। उसपर हमने ~~सावकार~~ सरकार द्वारा हमारी मांगों का फैसला करने के लिए जिस प्रकार समझौते की कार्यवाही दुबारा करने के लिये समझौता अधिकारी अजमेर को दिया है। हमने भी आन्दोलन को दुबारा करने का फैसला तारीख २९ जोलाई सन १९५९ से कर लिया है। हमारा आन्दोलन ता. २९-६-५९ को पांच बजे से शुरू होगा। इस का नोटिस समझौता अधिकारी अजमेर और जिलाधीश सेक्रेटरी लेबर मिनिस्ट्री को भेज दिया है।

आपने जो समझौता अधिकारी अजमेर द्वारा दुबारा समझौते के लिये लिखा है हमारे पास आज तक लेबर मिनिस्ट्री व समझौता अधिकारी की कोई सूचना नहीं है। पर सिर्फ मांगों को पुरान कर के ~~इधर~~ इधर से उधर कर मांगों को अंतिम बिना किसी फैसले रखते जाने देने का है।

हमारे तथा ~~सरकार~~ के विषय में जो छह विषय आपने लेबर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी श्री पी. एम. मेनन के सामने रखे थे वह छहों ऐसे है कि उनसे सरकार इन्कार नहीं कर सकती है। वह सवाल सिर्फ हम से वकालत हुई क्रियाओं के लाइम और सेन्ड स्टोन की खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के प्रति सरकार की पालिसी तथा हर पार्टी पालिसी से सम्बन्ध रखते हैं। जैसे श्रमिक के लिये छह दिन व ४८ घन्टे काम के बाद पुरा २४ घन्टे का शारीरिक छुट्टी लेने से मिले ~~और उस दिन रेस्ट के दिन~~ जिसे सरकार गारन्टी दे चुकी है। सरकार की इस गारन्टी से मालिक रेस्ट के दिन श्रमिक को गैर हाजर नहीं कर सकते। इससे साफ है सरकार श्रमिक को रेस्ट के दिन काम उपस्थित रहने पर हाजरी होने की गारन्टी कर चुकी है। सरकार की इस गारन्टी से साफ है श्रमिक के हाजर होने पर मालिकों को पैसा देना लाजमी है सरकार की गारंटी के अनुसार श्रमिक के हाजिर होनेपर वेतन नहीं देना भी कानूनन है।

शेष पृष्ठ २ पर

जहाँ तक रेटों का प्रश्न है यह भी सिर्फ इन दोनों मालिकों के श्रमिकों का नहीं है। यह भी हिन्दुस्तान की समस्त पत्थर खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों का है। जहाँ तक मिनिमम वेज का सवाल है उसमें श्रमिक की रेट के अलावा यह सहूलियतें और होना चाहिये कि मंहगाई के अंकों के अनुसार मंहगाई ~~[illegible]~~ बिजली हाथीड्रिल दें। धन्धे के मुनाफे के अनुसार बोनस और अतिरिक्त समय से अधिक कार्य लेने पर दुगना पैसा। इसे सरकार मान चुकी है। इन सब के बाद मिनिमम वेज का हो सकता है। जो इन खानों में आज तक नहीं आ रहा है।

इसी तरह से और भी कई बातें ऐसी हैं जिसमें सरकार इन्कार नहीं कर सकती है। यही कारण है कि सरकार इन मांगों का फैसला करने में टालमटूल कर रही है। टालमटूल के लिये आप के पत्र के बाद हमारे पास कन्सीलियेशन आफीसर ने तार दिया है और पहले की ही तरह मांगों को भारत सरकार के विचाराधीन बतलाया। तार दि. 28 जून को दिया है और 25 जून को लिखा है। कन्सीलियेशन आफीसर ने लिखा है कि

Matter under Consideration of Gover Please Desist hunger Strike

---

मेरा भारत सरकार के अन्दर कन्फीडेन्शन है ~~[illegible]~~ सरकार के पत्र से स्पष्ट है दो बड़ा समझौतों की कार्यवाही चल रही है किन्तु यह सब चक्कर है।

अतः मैं भूख हड़ताल चला रहा हूँ और आगे का विवरण समय अनुसार भेजूँगा।

आपका साथी

मंत्री
ओम लाल शर्मा
स्टोन क्वॉरीज मजदूर सभा
रामगंजमन्डी (कोटा)

29 JUL 1959

Dated 28th july 59

(151)

Express delivery
No 23 D.N. 82

From - stone quarries Majdoor sabha Ramganjmandi Kota

To. Shree P.M. Menon secretary Ministry of labour and Employment Gov. of India New Delhi

sub - Demands of the workers of sand stone, Lime stone quarries at Ramganjmandi and hunger strike of Amarlal sharma general secretary stone quarries Majdoor sabha Ramganjmandi

Sir,

This is mentioned in the letter dated 6th july 1959 from A.P. Veera Raghavan under secretary Gov. of India Ministry of labour and employment addressed to the secretary A.I.T.W.C. That the concilliation officer has already taken up the concilliation of demands of the workers of Ramganjmandi quarries and in your letter L.R.II(22(13)59 dated 7th july 1959 have mentioned that concilliation proceedings are reopened. On the grounds of your letter we Reopened the case before the concilliation officer central Ajmer In reply the concilliation officer informed the sabha by telegram 24 th july that the matter is in consideration of Gov. of India. There are contro-varsies in the information supplied by the above mentioned agencies of Gov. of India. In the sight of above controvarsies our sabha could not decide what is true when the concilliation have already failed. Now our sabha reached to the conclusion that Gov. of India has caused a lot of unnecessary delay in concluding the demands raised by our sabha. Hence it is decided that Shree Amarlal Sharma general secretary shall observe hunger strike from 29 th july till the demands are settled.

Yours faithfully.

Amarlal Sharma
secretary stone quarries Majdoor Sabha.

Copy 1. Chief labour Commissioner central
2 - Labour comissioner.
3. District Magistrate.
4 - A.I.T.W.C.

29 AUG 1959

TEXTILE LABOUR UNION

टेक्सटाइल लेबर यूनियन, ब्यावर (राज०)

(Affiliated : A. I. T. U. C.)

151

PRESIDENT :
Swami Kumaranand.

GENERAL SECRETARY:
Keshrimal
Municipal Commissioner.

TLU

BEAWAR (Raj.)

Dated 25-8-1959,

Krishan 5/9/59

कॉ. K.G. श्रीवास्तव
A.I.T.U.C. देहली

प्रियसाथी,

पिछले बहुत दिनों से आपको पत्र नहीं लिख सका हमारे यहाँ एडवर्ड मिल को २४-६-५९ से लगातार लॉक आउट दे रखा है और इस सम्बन्ध में आपको समय २ पर उन पत्रों से ज्ञात हो गया होगा जो पत्र हमने प्रान्तीय सरकार को अथवा केन्द्रीय सरकार को लिखे और उसकी प्रतियाँ आपको भेजी।

किशनगढ़ में P.S.P. यूनियन ने महालक्ष्मी मिल मजदूर सभा ने १४-८-५९ से कुछ माँगों को लेकर भूख हड़ताल की थी सुना है कुछ समझौता हुआ लेकिन पता नहीं क्या हुआ।

हमारे यहाँ भी हमने २७-७-५९ से तीन २ दिन के लिये दो दो साथियों को भूख हड़ताल पर बिठाया है १० वाँ जत्था बैठा है लेबर इन्स्पेक्टर के ऑफिस के सामने ये आन्दोलन चल रहा है।

राजस्थान असेम्बली में एडजोर्नमेन्ट मोशन भी रखवाया था १०-८-५९ को सरकार बयान देने की घोषणा भी की थी लेकिन बयान दिया नहीं।

केन्द्रीय सरकार ने (मनुभाई शाह के यहाँ) एक मीटिंग बुलाई थी २ और ५ अगस्त को जिसमें इनके राज. के सभापति मिल मालिक और प्रान्तीय मंत्री गण क्या हुआ पता नहीं इसपर प्रश्न आपको उठवाना चाहिये पार्लियामेन्ट में।

हमारी यूनियन को T.U.R. क्यों नहीं आ रहा क्या कि हमने तो बाकायदा चन्दा दिया है या छपना बन्द हो गया है।

राजस्थान के कपड़ा मजदूरों के प्रतिनिधियों की मीटिंग 3-9-59 को जयपुर में हम कर रहे हैं राजस्थान के मिलों से सम्बन्ध रखने वाले सवालों

[illegible]

7/9/59

8 SEP 1959

TEXTILE LABOUR UNION

टेक्सटाइल लेबर यूनियन, ब्यावर (राज०)

(Affiliated : A. I. T. U. C.)

157

56

PRESIDENT :
ni Kumaranand.

ERAL SECRETARY:
eshrimal
pal Commissioner.

BEAWAR (Raj.)

Dated ६-९-१९५९

श्री K.G. श्रीवास्तव
A.I.T.U.C. नई दिल्ली

प्रिय साथी

एडवर्ड मिल के सम्बन्ध में दो पत्रों की नकल भेज रहा हूँ। आज राष्ट्रदूत पेपर में आया है कि एडवर्ड मिल के सम्बन्ध में राजाध्यक्ष सोमानी की अध्यक्षता में कमेटी बिठाई है। आपको मालूम करना है कि केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है। इस कमेटी का फैसला शीघ्र हो जाये इसके लिये थोड़ा प्रयत्न किया जाय।

अभी हमने राजस्थान कपड़ा मजदूरों के फेडरेशन की एक्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग 3-8-59 को जयपुर में की थी। वहाँ फैसला किया कि एक मेमोरेण्डम तैयार करके प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार को दिया जाय और प्रतिनिधि मंडल भी भेजा जाय जिसमें राजस्थान टेक्सटाइल इनक्वायरी कमेटी (देशपांडे) की रिपोर्ट शीघ्र लागू करवाई जाय जो कि ५५ पेज की जाँच रिपोर्ट है। बन्द मिलों को चलाने के लिये मांग की जाय। मिलों को कर्जा दिलाया जाय ताकि मिल चल सके। इसी विषय पर एक डेपुटेशन मिल भी चुका है।

एडवर्ड मिल अभी पूर्ववत हालत में ही चल रहा है। २८-७-५९ से हमारी भूख हड़ताल आन्दोलन भी चल रहा है। हर तीसरे दिन एक जत्था बैठता है और पहले वाला जत्था उठ जाता है। सरकार की तरफ से कोई उत्तर मिल नहीं रहा है। श्रमिकों का E.S.I. और P.F. का पैसा भी बकाया है 2-3 महीने का वेतन और 3 महीने का बोनस बकाया है।

अभी २-८-५९ को जयपुर में एडवाइजरी कमेटी बनाने हेतु राज्य सरकार ने मीटिंग बुलाई थी मैं गया था और जो एडवाइजरी कमेटी बनी है उसमें दो मेहनत पुनर्वासियों का नाम रखा है। विशेष साथी कुमारानन्द जी आपको रिपोर्ट करेंगे। अभिवादन सहित

आपका साथी

(signature)

TEXTILE LABOUR UNION

टेक्सटाइल लेबर यूनियन, ब्यावर (राज०)

(Affiliated : A. I. T. U. C.)

PRESIDENT :
wami Kumaranand.

GENERAL SECRETARY:
Keshrimal
nicipal Commissioner.

TLU

BEAWAR (Raj.)

56

Dated 6 - 9 - 1959.

५२८
२९.६०

माननीय

श्रम मंत्री जी

राजस्थान ~~[illegible]~~ सरकार ~~[illegible]~~ जयपुर

विषय :- एडवर्ड मिल को चालू कराने के सम्बन्ध में।

प्रिय महाशय,

हमने आपकी सेवा में बहुत पत्र दिये, तार दिये, हम मिले, और एडवर्ड मिलको चालू करानेके लिये अर्ज किया। हमने अपने हर पत्र से और मिलने पर जबानी आपको बताया कि एडवर्ड मिलके मालिकने मिल में चोरियाँ करके अव्यवस्था फैलाई है और मिलको इस हालत में डाल दिया है कि वो किसी भी प्रकार से चाले नहीं। इस हालत से निकालने के लिये हमने यह भी अर्ज किया था कि इस मिलको इन्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट एक्टकी धारा १५ के मातहत केन्द्रीय सरकार से कह कर जाँच करवाई जाये और मिलको चलवाने की व्यवस्था की जाय लेकिन आपकी तरफ से किसी भी पत्रका उत्तर नहीं। हमने आपसे यह भी अर्ज किया था कि इस मिल के मालिक ने श्रमिकोंसे काटा हुआ E. S. I. और प्रोवीडेन्ट फन्ड का पैसा जमा नहीं कराकर ~~[illegible]~~ अमानतमें खयानत की है नियम तोड़ा किये हैं। लेकिन आपकी तरफ से इस सम्बन्धमें भी कोई उत्तर नहीं मिला। आपकी इस उदासीनता से श्रमिकों में तीव्र असन्तोष फैला है। श्रमिकों की [illegible]

श्रमिकों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने को २९-७-५९ से बृहत आन्दोलन चला रखा है लेकिन सरकार ने उस पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। सरकार के इस रवैये ने श्रमिकों में [illegible] भारी बेचैनी पैदा कर दी है।

इसलिये हम आपसे अर्ज करते हैं कि एडवर्ड मिलको मौजूदा मालिक से सरकार लेकर अन्य साधनों से चलाने की व्यवस्था करायें। श्रमिकों का बकाया पैसा दिलायें। यदि सरकार ने अब भी कोई कार्यवाही नहीं की या हमारे पत्रका उत्तर नहीं दिया तो १५ दिन बाद हम किसी अन्य प्रकार की सीधी कार्यवाही करने के लिये बाध्य होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। आशा है आप शीघ्र [illegible]

[illegible handwritten marginal notes]

TEXTILE LABOUR UNION

टेक्सटाइल लेबर यूनियन, ब्यावर (राज०)

(Affiliated : A. I. T. U. C.)

56

PRESIDENT :
mi Kumaranand.

ERAL SECRETARY:
Keshrimal
ipal Commissioner.

BEAWAR (Raj.)

Dated ६-६ 1959

माननीय,

श्रम मंत्री जी,

केन्द्रिय सरकार दिल्ली,

विषय - एडवर्ड मिल्स को चालू करने हेतु।

मान्यवर महोदय,

आपकी सेवा में हमने एडवर्ड मिल्स कम्पनी लि: ब्यावर की बिगड़ती जा रही हालत के सम्बन्ध में बार २ अपनी तरफ से निवेदन किया है, हमारे पत्र दिनांक ९-५-५९ के जरिये हमने आपसे प्रार्थना की थी कि मिल मालिक द्वारा बरती गई अव्यवस्था और की गई बेईमानियों के फल स्वरूप मिल बरबाद हुआ है। २४-५-५९ से लगातार १३ सौ और १४ सौ के आसपास श्रमिकों को "ले आफ" दिया जा रहा है, श्रमिकों को २,-३ माह की पगारें चढ़ी हुई है लेकिन मालिक चुका नहीं रहा है। प्राविडेन्ट फंड की राशि करीब ३ लाख रुपये के जमा नहीं कराई गई है, और E.S.I. का भारी तादाद में रुपया रोक कर उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है वे सभी प्रकार के हित लाभ से वंचित होते जा रहे हैं।

इसलिये मिल को सरकार इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एक्ट की धारा १५ के मातहत अपने अधिकार में लेकर चलावे या चलवाये लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में नहीं की है और न ही कोई जानकारी इस सम्बन्ध में हमें दी है बावजूद इसके हमने समय २ पर अनेक पत्र दिये उनमें से किसी एक का भी हमें उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

सरकार की यह असाधारण चुप्पी श्रमिकों में तीव्र असन्तोष उत्पन्न कर रही है।

प्रत्युत्तर की शीघ्र आशा है।

भवदीय -

(signature)

प्रतिलिपी - माननीय - उद्योग, वाणिज्य मंत्री महोदय
दिल्ली

[illegible]

September 29, 1959

Chairman,
Reception Committee,
2nd Annual Conference,
Ajmer Division P.W.D. Employees Union,
Chandpole Bazar,
JAIPUR, Rajasthan.

Dear Comrade,

Thank you for your invitations to Coms. S.A.Dange, Raj Bahadur Gour and Secretary AITUC, to attend the 2nd Annual Conference of the Ajmer Division P.W.D. Employees Union, to be held on 9th, 10th and 11th October, 1959 at Jaipur.

It is regretted that none of the above comrades will be able to attend the conference due to their preoccupations.

We, However, send our warmest fraternal greetings, and best wishes for the success of the conference. We hope the conference will be successful in further cementing the unity of the working class in general and P.W.D. workers in particular.

Yours fraternally,

(K.G.Sriwastava)
Secretary

(151)

576

For Publication.

ARTICLE

"Rajasthan Electric & Water W-orkers on Path of Struggle"

The Rajasthan Electric and Water Workers' Fedration representing about 10,000 workers of Rajasthan State Electricity Board and water workers Department of the Government of Rajasthan, in a recent meeting has decided to take strike Ballot from 1st to 7th July, 1959, for the fulfilment of certain demands, which have mostly been accepted long ago but not implemented yet.

A Flash Back.

The Rajasthan Electric & Water Workers' Fedration is an independent United Organisation of the Electricity and Water Workers of Rajasthan including the employees of the Electricity Under-takings in the Private Sector also. The Ministerial and class IV staff of the Electricity Board was not the part and Parcel of the Workers' Federation but a decision has now been taken to affiliate them also. The first annual conference of the Rajasthan Vidyut Karyalaya Karmachari Sangh has been convened at Bikaner from 12th to 14th July, 1959 and a formal decision by the Sangh to get itself affiliated with the workers' Federation will be taken there . Previously it was affiliated with Rajasthan Ministerial Staff Association.

The Rajasthan Electric & Water Workers' Federation was formed on an adhoc basis in the year 1949- A.D. soon after the formation of Rajasthan and its first Annual Conference was held at Bikaner on the 1st, 2nd and 3rd January, 1950. This was the first State Organisation of workers working in any industy or Government department or undertakings. This is a sufficient proof of the conseiousness of workders of Electricity and Water Works of Rajasthan. Com. Ashraf Faujdar was elected the first Secretary.

Some Achievements.

At the first conference a 14-point charter of demands was adopted which included, interalia, the demands of Unified Scales of pay, Uniform Service conditions and permanency

of service. Jaipur Unit, which had already served Strike notice on the very demands, started Strike in the third week of January, 1950 which was a complete success so far as the participation of workers is concerned but was a failure so far as the direct achievements are concerned. The strike was mercilessly crushed and the ruthless repression was let loose by the Feudal State Police. But it was as a result of this strike and the strikes of Jodhpur (1942 & 46) and Bikaner (1948) in the back-ground that almost all the major demands were accepted by the middle of 1951. Uniform Scales of pay were prescribed ranging from ~~Scale~~ Rs. 150-300 in the highest to Rs. 30-1-40 in the lowest and these were brought into force with retrospective~~ly~~ ~~with~~ effect from 1.4.1950. Permanency of service was secured by converting all those work-charged employees to permanent cadre ~~to be~~ who were in service on 1.4.49 A major achievement to which a special reference must be made was the acceptance of the demand of weekly Holiday with Pay for all the employees whether permanent temporary, work charged or casual.

Integretion and fixation in the Unified Pay scales posed a very complicated Problem before the Authorities as well as the Federation, which, but for the tact-ful and intelle-gent handling by Com. Narendra Pal & Ashraf Faujdar, the then President and Secretary respectively, and the appreciable Co-operation of the Authorities, would have Shaken the Organisation to its roots.

In the year 1953 ~~and~~ a step forward was taken and a new Charter of Demands, containing the demands of Provident Fund, better leave facilities, cycle Allowances, Uniforms and rectification of fixation anamolies, among others, was adopted. In the year 1955, only after the preparation of State-wide Strike, these demands were accepted to a very large extent and Contributory Provident Fund scheme @ 6¼% of basic wages,

P.T.O.

Cycle allowence at Rs. 6/- P.M. and 15 days casual, 18 days Previlage and 16 days Special Casual leave for the meetings of the Federation were sanctioned, Shri Amar Dutt Nag and Shri Damodar Moria were the President and General Secretary respectively during this period.

The history of the present dispute :-

In the year 1956, another step forward was taken, when a 34-point charter of demands was adopted in the fourth Annual Session of the Federation in-augurated by Shri V.V.Giri. In the same year the Federation took part in the foundational Conference of All India Federation of Electricity Employees held at benglore to be again inaugurated by Shri V.V.Giri.

The 34- Point charter of demands, included the Demands of Revision of Pay Scales, increased Dearness Allowence, P.F. at the rate of 8-1/3% in-cluding Dearness Allowence, better leave facilities, Gratuity Scheme, Bonous, Free Housing, Electricity and Water Etc. A committee under the Chairmanship of the Chairman of Rajasthan State Electricity Board was formed in July 57, which included the President of the Federation, Shri Amar Nath Dutt Nag also as one of the members. The committee itself was also only formed when the Strike-Notice was served. and It was required to submit its recommendations with-in one month. The committee took about 1½ years for its deliberations and submitted their its report in the month of October, 1958. The Government has since then communicated their acceptance of the recommendations of the committee.

Recommendations of the Committee.

1. Revision of Pay Scales

The following scales were propo-sed by the committe which have been accepted by Government. These will take effect from 1.3.58

Scale I Rs. 30-1-50

I. Helper II (Fresh recruits will get a starting Pay of Rs. 35/- in the above scale.)

Scale II. Rs. 40-2-50-2-70

1. Helper I
2. Meter checker and Meter Reader II

Scale III. Rs. 60-4-80-EB-5-100

Scale IIIA. Rs. 60-4-80-5-100-EB-130

Note:- Those to whom Scale III applies will be in Scale III A if a Matriculate.

1. Meter Inspector II.
2. Meter Checker & Meter Reader I
3. Fitter II
4. Mechanic II
5. Line man II
6. Driver II
7. Mistry III
8. Electrician & Wire man II
9. Fireman.
10. Sub-Station Attendant-and Switch Board Attendant.
11. Pump Drivers.
12. Cable Jointer II
13. Tools Keeper.
14. Artisan II
15. Chargeman II
16. Junior Pump Attendant (W.W.)
17. Laboratory Assistant(W.W.)

Scale IV. Rs. 80-5-120-EB-5-175.

1. Foreman III
2. Head Electrician & Line man II
3. Chargeman I
4. Radio Machnic
5. Meter Inspector I
6. Mter Tester & Meter Repairer II
7. Gate Sargeant.
8. Surveyor & Estimator
9. Fitter I
10. Mechanic I

P.T.O.

11. Artisan I
12. Line man I
13. Driver I
14. Mistry II
15. Electrician & Wireman I
16. Asstt. Turbine Attendant
17. Boiler Attendant.
18. Cable Jointer I
19. Welder II
20. Senior Pump Attendant (W.W)
21. Junior Filter Attendant (W.W)
22. Pump Driver I (W.W)
23. Water Works Inspector (W.W)

Scale V. Rs. 110-5-135-EB-10-225.

1. Foreman II
2. Mistry I
3. Turbine Attendant.
4. Meter Tester & Repairer I
5. Senior Filter Attendant.

Scale VI, Rs. 150-10-220-EB - 10-250-12½-350

1. Fore man I
2. Boring Operator.

Scale VII. Rs. 90-5-125-EB-10-225-EB-12½-300

1. Head Smith
2. Head Lineman & Electrician I
3. Incharge Armature Winging Shop
4. Engineering subordinate.
5. Overseer.
6. Sub-Overseer.
7. Welder I
8. Provident Fund.

The Contribution to be made from the 18th May, 1958, when the Employees P.F. Act was amended making it applicable to Government industries, shall be based on basic wages plus dearness allowance but the rate of contribution shall ~~be~~ continue to be 6¼%.

P.T.O.

3. Those in employment between 1.4.49 and 1.4.50 should be fixed

"The Federation felt that hardship has resulted to those actually employed between these two dates as they were not covered by the fixation scheme. Cases should be examined by the Chairman and appropriate orders passed by the competent authority."

4. Condonation of old work-charged service.

"The Federation representative stated that in Water works and Power-House, there are employees who have been working for several years on work-charged basis though they have been per-forming duties of a permanent nature. These persons at the time of retirement will get no benefit,.....
The committee felt that it will be a great hardship if some service benefits do not accrue to such personnel on retirement at the end of a long service. The grievance is genuine and deserves careful consideration".

5. Free Housing:-

"....It will be necessary to specify the individual workers or class of workers who will come within this category and thus be entitled to this concession".

6. Amendment of Leave Rules.

"The only outstanding demand was that the limit of accumulation of leave should be 90 days instead of 30 days... While the committee does not recommend immediately any action on this point, information should be collected from all states or Electricity Boards..."

The demands of Bonus, gratuity, free electricity, Uniforms to all workmen could not be accepted as the Board was running in losses and the demands of increased Dearness Allowance and Participation in Management were left to be decided by the Government as they were general questions.

Now it is preciously for the implementation of these recommendations of the Demands Enquiry committee that the Executive Committee of the Rajasthan Electric and water workders' Federation in its meeting dated 15th to 17th, 1959 held at Dholpur had to

P.T.O.

take the decision of taking strike ballot.

Although the Government has communicated their acceptance in January, 1959, no action has been taken by the Board or Water Works Department as yet. Thus the demands placed before the authorities in 1956 have not yet been implemented and the patience of the workers is exhausted.

The decision over the strike ballot will be taken by the General council of the Federation which is scheduled to meet on 12th July, 1959 at Bikaner.

R Lal

General Secretary

Raj. Elec. & water Workers Federation

(151) 56

राजस्थान बिजली नल वर्क्स फेडरेशन.

कार्यकारिणी की चौथी मीटिंग की कार्यवाही.

कार्यकारिणी की चौथी मीटिंग धौलपुर में तारीख १५ व १६ जून, १९५९ को, श्री० नरेन्द्रपाल जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :=

१. श्री० नरेन्द्रपाल.	२. श्री० कृष्णाकान्त.	३. श्री० रामेश्वरलाल पांडेय.
४. श्री० फतहसिंह.	५. श्री० रामचन्द्र.	६. श्री० दामोदर मौर्य.
७. श्री० जयचन्द्र.	८. श्री० श्रीकृष्ण.	९. श्री० प्रतापसिंह.
१०. श्री० अब्दुलहमीद.	११. श्री० अचलसिंह.	१२. श्री० रोशनलाल.

कार्यकारिणी की पहिली बैठक ता० १५. ६. ५९ को शाम को ४ बजे शुरू हुई, जिसमें सब से पहिले कार्यकारिणी की पिछली मीटिंग की कार्यवाही पढकर सुनाई गई, जो सर्व सम्मति से स्वीकार कीगई. इसके बाद उस सबकमेटी की मीटिंग की कार्यवाही पढकर सुनाई गई, जो पिछली कार्यकारिणी ने बनाई थी. सब कमेटी की मीटिंग ता० २२. ३. ५९ को हुई थी, जिसमें रिक्त स्थानों को भरने के प्रश्न पर विचार किया गया था. सब कमेटी ने अपने सुझाव निम्न प्रकार दिये थे :=

१. १. ४. १९५० के पहिले के कर्मचारियों का फिक्सेशन तारीख १. ४. १९५१ से किया जाये.

२. खाली जगह सीनियरिटी और मैरिट्स दोनों को ध्यान में रखतेहुए एक फारमूला बनाकर भरी जायें, जिसमें स्थायी व अस्थायी दोनों ही एलीजिबिल : eligible : होंगे. प्रोमोशन या तरक्की सिर्फ एक ग्रेड की ही होंगी. अस्थायी कर्मचारी ता० १. ७. ५७ से पहिले का कर्मचारी होना चाहिये.

३. खाली पोस्टें यूनिट वाइज भरी जायें.

इसके बाद साथी सैक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट रखी, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों की स्थिति, बोर्ड व वाटर वर्क्स के बजट व लेबर एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग पर प्रकाश डाला. इसके अलावा यूनियनों की activity के

कृपया पन्ना उलटियेगा.

बारे में भी जानकारी दी, वह यह भी बताया कि बोर्ड व वाटर वर्क्स में किस तरहमजदूर विरोधी नीतियों पर अमल हो रहा है, जिसके उदाहरण अलवर वाटर वर्क्स व डीग पावर हाउस यूनियन के कार्यकर्त्ताओं के तबादले है. मांगों के बारे में साथी सैक्रेटरी ने बताया कि वह अभी तक बोर्ड की की मीटिंग के लिये खटाई में पडी हुई है या चीफ इंजिनीयर की ला परवाही से लाल फीताशाही के चक्कर में पडी हुई है. इसके अलावा अन्य प्रान्तों से मेडल व अन्य सुविधाओं के बारे में जो जानकारी मिली है, खास तौर पर मद्रास, पंजाब व मैसूर से उनके बारे में भी बताया व यह सुझाव दिया कि हमें अधिकारीवर्ग के सामने इस नई जानकारी के पेशेनजर कुछ और मांगे भी रखनी है चाहियें, बजट के बारे में साथी सैक्रेटरी ने बताया कि यह घाटे का बजट दिखावटी है, हकीकी नहीं, व अगर घाटा सही भी है तो वह मिसमेनेजमेन्ट की वजह से है. :सैक्रेटरी की पूरी रिपोर्ट अलग से भेजी जायेगी:

इसके बाद तीन घंटे तक सैक्रेटरी की रिपोर्ट पर विचार हुआ, व कई साथीयों ने महत्वपूर्ण सुझाव रखे, कुछ संशोधनों के साथ साथी सैक्रेटरी की रिपोर्ट को स्वीकारकिया गया.

बोर्ड व वाटर वर्क्स के १९५९ = ६० के बजट पर विस्तार पूर्वक विचार करने के लिये व उन पर अपनी टीका टिप्पणी करने के लिये निम्न लिखित साथीयों की एक सब कमेटी बनाई गई :=

१. श्री० नरेन्द्रपाल ‡ पदेन.
२. श्री० रोशनलाल ‡
३. श्री० मोहन पूनमिया.
४. श्री० रामेश्वरलाल पांडेय.
५. श्री० दामोदर मौर्य.

यह निर्णय हुआ कि रिपोर्ट व बजट पर टीका टिप्पणी को छपवाने के लिये जो यूनियनें मौजूद है, वह निम्न प्रकार चन्दा भेजेंगी : =

जयपुर.	...	३० रुपये.
बीकानेर.	...	२५ रुपये.
जोधपुर.	...	२० रुपये.
जोधपुर वाटर वर्क्स	...	१० रुपये.
बीकानेर मिनिस्टियल स्टाफ	...	१० रुपये.
उदयपुर वाटर वर्क्स	...	५ रुपये.
		==========
	कुल ...	१०० रुपये.
		==========

कृ०प०उ०

मांगों के बारे में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें भाग १ में, वे मांगे रखीगई, जो पहिले से लम्बे अर्से से चली आरही है. भाग २ में नई मांगे रखी गई. व भाग ३ में ऐसी मांगे है, जो बोर्ड व वाटर वर्क्स में सुधार के लिये अपने सुझाव है, जिनका हमें प्रचार करना है, व जनमत बनाना है. :प्रस्ताव का कुछ भाग भेजा जारहा है, पूरा प्रस्ताव रिपोर्ट के साथ भिजवादिया जायेगा: यह निर्णय हुआ कि भाग १ की मांगों के लिये ता० १ से ७ जुलाई तक हडताल बैलेट लिया जाये व तारीख १२ से १४ जुलाई, १९५९ तक बीकानेर में जनरल कौंसिल की मीटिंग बुलाई जाये, जो हडताल के बारे में फैसला करे.

यह भी तय हुआ कि राजस्थान विद्युत कार्यालय कर्मचारी संघ का प्रथम अधिवेशन भी बीकानेर में इन ही तारीखों को यानी १२ से १४ जुलाई, १९५९ को बुलाया जाये.

यह भी निर्णय हुआ कि फैडरेशन मिनिस्टियल स्टाफ, वाटरवर्क्स, हास्पिटल स्टाफ, कन्स्ट्रक्शन स्टाफ व प्राईवेट पावर हाउस स्टाफ के प्रतिनिधियों की अलग अलग से मीटिंग बुलायें, ताकि उनकी समस्याओं पर विस्तार पूर्वक विचार हो सके.

इलेक्ट्रीसिटी कन्सलटेटिव कौंसिल में अपने प्रतिनिधित्व के बारे में यह निर्णय लिया गया कि श्री० नाग के बजाय श्री० नरेन्द्रपाल फैडरेशन के प्रेसीडेन्ट होने के नाते फैडरेशन का प्रतिनिधित्व किया करेंगे व इसकेलिये जनरल सैक्रेटरी से हिदायत कीगई कि वह सरकार को शीघ्र ही एक पत्र भेजदें.

यह भी निर्णय हुआ कि पिछली कार्यकारिणी ने जो सब कमेटीयां बनाई थीं, वे संवैधानिक है व अपना कार्य सम्पूर्ण करें.

फैडरेशन का स्थापना दिवस १ से ३ जनवरी को हमेशा मनायाजावे जिसका प्रोग्राम सैक्रेटरी द्वारा भेजा जायेगा.

फैडरेशन का आगामी सालाना अधिवेशन अक्टूबर, १९५९ को श्रीगंगानगर में करना सर्व सम्मति से तय किया गया.

कृपया पन्ना उलटियेगा

सितम्बर, १९५९ में आल इंडिया फैडरेशन आफ इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाईज की कार्यकारिणी की मीटिंग जयपुर में बुलाई जाये, इसके लिये जयपुर यूनिट बैठक बुलाने की व्यवस्था करेगा. इसके लिये जनरल सैक्रेटरी, जयपुर यूनिट को सूचित कर दें.

इसके बाद एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें तय किया गया कि श्री० एन० जे० वातानी, चीफ इंजिनीयर , इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को उनकी मजदूर विरोधी नीति के कारण, वे, राजस्थान में या जहां भी जायें, काले झंडे दिखाये जायें.

तारीख २५ जून, १९५९ को विरोध दिवस मनाने का निश्चय हुआ.

यह भी निर्णय हुआ कि जुलाई, १९५९ के वेतन से हडताल या संघर्ष के लिये स्पेशल फंड जमा करना शुरू कर दिया जावे, और २५ प्रतिशत इस फंड का फैडरेशन को दिया जावे.

फैडरेशन के हैड आफिस्ट के किराये के बारे में यह तय हुआ कि कुल किराया का ५० प्रति शत जयपुर यूनियन और ५० प्रतिशत फैडरेशन आफिस्ट देगा.

कार्य समिति के सदस्यों को धन्यवाद देते हुए, सभापति जी ने मीटिंग की कार्यवाही समाप्त की.

जनरल सैक्रेटरी.

oooooooo

13 JUL 1950 under Postal certificate

किशनगढ म्युनिसिपल कर्मचारी युनियन, मदनगंज, किशनगढ

पत्र संख्या ६६ ता० २५, ६, ५६ ई०.

श्रीमान जनरल सेक्रेटरी आल इन्डिया
ट्रेड युनियन कांग्रेस ४ अशोक
रोड, नई दिल्ली

(151)

प्रिय महोदय,

किशनगढ म्युनिसिपल कर्मचारी युनियन की कार्य समिति ने अपनी ता० २४, ६, ५६ की बैठक मे जो प्रस्ताव पास किया वह आवश्यक कार्यवाही हेतू भेज रहा हूं. कार्य समिति ने नगरपालिका के कर्मचारियो की फोरी मांगो के बारे मे जो प्रस्ताव ता० १० मई ५६ को पास करके भेजा उस पर म्युनिसिपल बोर्ड या राज्य सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नही दिया है इसलिये युनियन के सामने इन मांगो को हासिल करने के लिये सिवाय वैधानिक और शान्तिपूर्ण आन्दोलन करने के और कोई रास्ता नही है. इसको ध्यान मे रखकर युनियन ने ७ जुलाई ५६ से म्युनिसिपल बोर्ड के सामने भूख हडताल करने का निश्चय किया है अब भी बोर्ड या सरकार के सामने ६ जुलाई ५६ तक का समय है कि वो इन मांगो पर गोर करके पूरी करने की उदारता बर्ते अन्यथा युनियन ७ जुलाई ५६ से जो भूख हडताल करने जा रही है उससे उत्पन्न होने वाले हालात की जुम्मेदारी म्युनिसिपल बोर्ड व राज्य सरकार की रहेगी.

प्रस्ताव

ता० २४, ६, ५६ ई०.

किशनगढ म्युनिसिपल कर्मचारी युनियन की कार्य समिति की बैठक अपने १० मई ५६ के प्रस्ताव के अनुसार यह कार्य समिति से निर्णय करती है कि म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारियो की जायज फोरी मांगो को हासिल करने के लिये ७ जुलाई ५६ से भूख हडताल संगठित की जाय.

कार्य समिति को यह जानकर अत्यन्त दुःख है कि श्री चेयरमैन महोदय तथा राज्य सरकार ने अभी तक उपरोक्त प्रस्ताव का न कोई फैसला किया और नही सन्तोषजनक जवाब तक दिया. यह कार्यवाही शिष्टाचार के भी खिलाफ है.

ऐसी परिस्थिति मे युनियन के सामने सिवाय इसके अन्य कोई रास्ता नही है कि अपनी मांगो को हासिल करने के लिये शान्तिपूर्ण वैधानिक आन्दोलन शुरु किया जाय.

कार्य समिति अन्त मे फिर श्री चेयरमैन महोदय व राज्य सरकार से पूरजोर शब्दो मे अनुरोध करती है कि या तो युनियन की निम्न न्याय संगत सभी फोरी मांगे ता० ६, ७, ५६ तक पूरी करके अपनी उदारता का परिचय दे वरना ता० ७, ७, ५६ से म्युनिसिपल बोर्ड के सामने भूख हडताल शुरु की जायेगी.

फोरी मांग

१. श्री छोटूलाल, मनोहरसिंह, मदनलाल चपरासी को शीघ्र काम पर लेकर इनको अब तक का पूरा वेतन दिया जाय.

कृ० उ०

२. अवैधानिक और बदले की भावना से किये जाने वाले जुर्माने तथा सस्पेन्ड करना व अन्य प्रकार से कर्मचारियों को परेशान करने की प्रथा को रोकी जाय.

३. आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की जगह पर श्री वासुदेव जूनियर क्लर्क की जगह पर रख वाले तथा योग्य कर्मचारी की नियुक्ति की जाय.

४. प्रीविलेज व केजुवल लीव देने मे जो धांधली बाजी बर्ती जा रही है उसको रोकी जाय तथा प्रसूति काल की छुटियां कायदे के अनुसार पूरी दी जाय.

आपका

प्रेसिडेन्ट

किशनगढ म्युनिसिपल कर्मचारी युनियन, मदनगंज, किशनगढ.

Rajasthan Electric & Water Workers' Federation

राजस्थान बिजली नल वर्कर्स फेडरेशन

(Registered & Recognised)

(Affiliated to All India Federation of Electricity Employers)

56

President
Shri ~~A. D. Nag~~ Narendra Pal.

Vice : President
Shri Bhai Bhagwan
" Narendra Pal
" Mangi Lal

General Secretary
Roshan Lal

Joint Secretary
Shri Rameshwar Lal Pandey
Shri Krishan Kant Verma
Shri Deep Chand

Organising Secretary
Shri Fateh Singh

Treasurer
Shri Prem Prakash

Ref No. REW F/VI/ *Jaipur, Date* 6. 7. 1959.

Dear Com. K. G.

Recd your letter dated 11th ultimo. Sorry could not reply earlier as I was busy in the preparation of the Executive Committee meeting and its follow-on action.

As regards Pali Strike, it had come to an end after 13 days hunger strike by Com. Punamia and also General Strike. It is learnt negotiations have started.

No follow-on action on the Beawar decisions could be taken because Com. Punamia the Secretary of STUC was involved in this strike. Anyhow I have no detailed information, as I myself have not been hearing from him. The action on the Beawar decisions and on the fund campaign will be taken when we soon meet in the Executive of STUC after the return of Com. Punamia from the National Council's Meeting at Trivandrum and Textile Workers' conference at Bombay. I hope the meeting of the Executive will be called soon on his return.

In this cover I am enclosing a Report of the Rajasthan Govt (Labour Deptt) on the working of the I. Trade Unions Act, 1926 in Rajasthan for the year ending March, 1957. It gives some information even upto March, 1958. ~~Hope~~ this will prove useful for AITUC Office ~~so far as~~ to know the situation of Labour Movement in

Rajasthan - ~~is concerned~~.

I am also enclosing a copy of the Demands Enquiry Committee which was appointed by the Govt of Rajasthan to inquire into the demands of the Electricity & water workers. A ~~draft~~ article on the same is also enclosed for publication in New Age (Labour Notes) & T.U. Record. Hope Com. Gaur will approve the same adopt it and arrange for its earliest publication in New Age and T.U. Record. It will be very ~~helpful~~ for to our organisation if the same is published in the next issue dated 12th July, 1957 of the New Age i.e on the occasion of first Annual Conference of the Raj. Vidyut Karyalaya Karamchari Sangh and the meeting of the General Council of Raj. Elec. & water workers' Federation. The information ~~contain~~ particularly with regard to the scales of 'Pay' contained in the Article is also useful for Electricity workers throughout as we claim to have achieved the some highest grades in India barring a few grades in advanced States. This will also help to know our comrades who are working in the Electricity Industry that Raj. Federation is also Pro AITUC. Hope you will do arrange for its publication.

I have nothing heard from either Com. Krishnan or Com. Ganesan. Kindly remind them.

With greetings.

Yours comradely,

[signature]

G. Secy.

Copy of the letter from Shri A.P.Veera Raghavan, Under Secretary to the Government of India, Ministry of Labour & Employment addressed to The secretary AITUC, dated 6th July 1959.

Sub: Demands of the workers of the sand stone quarries at Jhalawar and lime stone quarries at Ramganjmandi.

Sir,

I am directed to acknowledge receipt of your letter dated the 4th June, 1959 and to state that the conciliation officer has already taken up conciliation of the demands of the workers of Ramganjmandi quarries. He has been instructed to take u conciliation of the demand of the workers of Jhalawar quarries also.

A Mines Board for Rajasthan has recently been set up.

It would be helpful if the workers' Unions are advised to take up specific instances of non-enforcement or violations of labour laws with the appropriate field officers responsible for enforcing them.

Yours faithfully,

Sd/- A.P.Veera Raghavan

24 JUN 1959

(131)

स्टोन क्वेरीज मजदूर सभा
रामगंजमन्डी (कोटा) दिनांक 22-5-59

प्रियसाथी

जैसा कि आपने ता. 8-5-59 को आपके पत्र में लिखा था सभा की ओर से सेक्रेटरी साहब ने हमें आज तक कोई फैसला नहीं भेजा है। हमने आपके कहने के अनुसार अपने आन्दोलन को स्थगित कर रखा है। ~~किन्तु~~ हमारे इस प्रकार बार बार आन्दोलन से पीछे हटने से मजदूरों में लोग जो कि हमारे तथा विरोधी हैं भ्रम पैदा हो रहा है और संगठन जो कि हमारा बनने जा रहा था खत्म होने की अवस्था में है कई लोग हमारे खिलाफ गन्दे से गन्दे अभियोग भी लगा रहे हैं। जिससे हमें जनता का विश्वास भी खोना पड़ेगा।

इसलिये मैं आप से अनुरोध करता हूँ कि अतिशीघ्र हमें आप कोई सुझाव भेजें। जिससे हमारा संगठन खत्म नहीं हो और हम आपके साथ सफाई तौर से चल सकें।

आशा है आप लौटती डाक से उत्तर भेजने की कृपा करेंगे।

आपका साथी
[illegible]
मंत्री
स्टोन क्वेरीज मजदूर सभा
रामगंजमन्डी (कोटा)

[illegible]
25/5

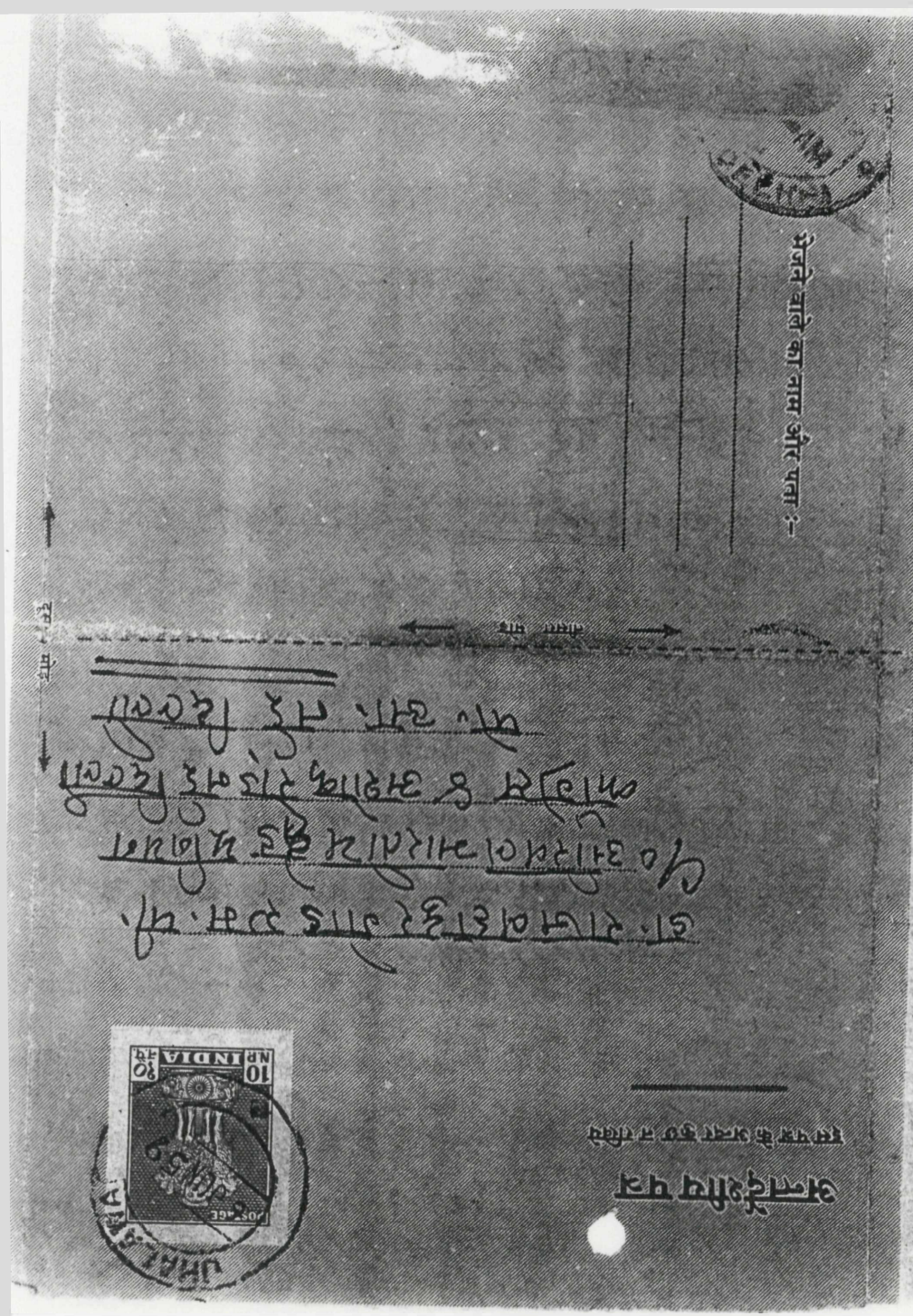

8 JUN 1959

पत्थर खान मजदूर सभा झा

क्रमांक (251) झालावाड़ रा

ता: ६-६-५९

कामरेड राज बहादुर गौड़

"रक्ताभिवादन"

96. 9/6/59

(15)

आपके झालावाड़ से जाने के बा
मैं १ जून को अजमेर गया किन्तु दो
ठेकेदार सरदारसिंह रामगोपाल खात के
अजमेर नहीं आए कंसीलेशन आफीस
एक्सप्रेस तार द्वारा दोनों ठेकेदारों को बुल
फिर भी वे नहीं गए मैं ३ जून तक अजमे
इसके बाद ४ जून को जयपुर पहुंच गय
वहां साथियों से बात की कॉ॰ एच॰ के॰
जयपुर नहीं मिले ५ जून को झालाव
आ गया ६ जून को कलेक्टर झालावाड़
हड़ताली साथियों के विषय में बात की
कलेक्टर झालावाड़ ने १० जून सन् ५९
दोनों ठेकेदारों और मुझे हड़ताल सम
करने और मांगें ठेकेदारों से स्वीकार क
हेतु बुलाया है। देखें ठेकेदार १० जून क

अन्तर्देशीय पत्र

इस पत्र के अन्दर कुछ न रखिये

डा॰ राजबहादुर गौड एम॰ पी॰
C/o अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन
कॉंग्रेस ४ अशोक रोड नई दिल्ली
पो॰ आ॰ नई दिल्ली

भेजने वाले का नाम और पता :-

पहला मोड़ — तीसरा मोड़ — दूसरा मोड़

10 N.P. INDIA POSTAGE

JHALAWAR

कलेक्टर साहब के सामने उपस्थित
होते हैं या नहीं। लेकिन हड़ताल
अन्य खानों ने शुरू कर दी है। सहानुभूति
के दूसरी खानों के मजदूर जलूस में
सम्मीलित हो रहे हैं। आन्दोलन हड़ताल
अभी बदस्तूर जारी जारी है। बाहर से
केन्द्रीय यूनियन का अभी तक कोई भी
साथी नहीं आया है। कॉ. अमरलाल भी
केवल आपके साथ ही आये थे।
मैंने कन्सीलेशन आफीसर अजमेर
से इस केस को कन्सिलेशन में देने
को कहा तो उन्होंने इंकार कर दिया
और रिपोर्ट भेजने को कहा कि बाद
बाद इस हड़ताल की जाँच की रिपोर्ट
भेज दी है। मजदूरों के साथ ठेकेदार
सरदार गाली गलोच करता है। ऐसी
मुझे सूचना प्राप्त हुई है और कहता
है कि खान पर काम करने चलो।
हड़ताल अन्य खानों में भी पहुंच

लगी है। पब्लिक मीटिंग अभी तक
नहीं हुई है केवल जलूस हड़ताल
के मजदूरों ने निकाले हैं। हड़ताल
२१ मई सन ५८ से चल रही है और
अभी तक करीबन ३५० मजदूर
हड़ताल पर हैं। केन्द्र यूनियन
का फार्म और विधान की कापी
भेजना। ब्यावर भी गया था किन्तु
केशरी मल के पास केन्द्र यूनियन
के फार्म नहीं थे कॉ. मोहन पुनमिया
तमाम रेकार्ड पास ले गये हैं वहाँ
स्वामी कुमारानन्द और दादा पोतकर
नहीं मिले। आन्दोलन जारी है

Ack receipt & ask him to continue
Sandip

बतनलाल हिन्दुस्तानी
सेक्रेटरी
पत्थर खान मजदूर सभा झालावाड़
रजि. नं ...// राजस्थान

2 JUN 1959

151

नगरपालिका के अध्यक्ष

श्री चन्द्रदास पुरोहित की नादिरशाही

से

पालिका के कर्मचारियों में असंतोष व आतंक !

* न्याय व कानून की हत्या करनेवाले जुल्मी चेयरमैन के जुल्म का मुकाबला करने के लिये कर्मचारियों, अपने संगठन को मजबूत करो।

* राज्य सरकार तानाशाह व अन्यायी चेयरमैन के बर्बरतापूर्ण हमलों से कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करे।

* बदले की भावनासे निकाले गये कर्मचारियों को अब तक के वेतन सहित शीघ्र काम पर लिया जाय।

* आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की खाली पोस्ट पर श्री वासुदेव जूनीयर कर्क की अवैध और गैर कानूनी नियुक्ति को कैन्सिल करके हक वाले कर्मचारियों को इस पद पर नियुक्त किया जाय।

* कर्मचारियों से व्यक्तिगत बदला लेने की भावना को त्यागा जाय तथा यूनियन को तोड़ने की साजिशों को चेयरमैन बन्द करें।

नागरिक बन्धुओं तथा कर्मचारी भाइयों !

जब से श्री चन्द्रदास पुरोहित पालिका के चेयरमैन बने हैं तब से उनका शायद एक ही काम रहा है, वह है म्युनिसिपल कर्मचारी यूनियन को तोड़ना और कर्मचारियों को यूनियन में जाने की सजायें देना।

जो कानून कायदे हमारे देशकी लोक सभा तथा विधान सभायें बनाती हैं उनका पालन करना अफसरों और अधिकारियों का काम है और उनसे मिलने वाली सुविधाओं की मांग कर लागू करवाना यूनियनों तथा संस्थाओं का काम है।

इसके अंतर्गत हमने श्री चेयरमैन महोदय से तथा अन्य अधिकारियों से मांग की कि कर्मचारियों से आठ घण्टे की ड्यूटी ली जाय, साप्ताहिक रेस्ट तथा अन्य छुट्टियां दी जाय। ग्रेड इन्क्रीमेंट दिया जाय। तथा गैर कानूनी तरीकों से निकाले गये कर्मचारियों का वेतन दिया जाय तथा अन्य प्रकार की विभागीय धांधलियों को बन्द किया जाय। जब बातचीत व आपसी समझौतों से ये मामले तय नहीं हुए तो राज्य सरकारने इन मामलोंको राजस्थान की श्रम अदालतमें भेज दिये। इससे चेयरमैन सा० ने अपना मानसिक संतुलन तक खो दिया और कर्मचारियों पर एक निर्दयी जल्लाद की तरह दमन पर उतर पड़े जिन तीन कर्मचारियों का केश श्रम अदालत में था उन तीनों को श्री छोटूलाल, मनोहरसिंह व मदनलाल को कानून के खिलाफ नौकरी से निकाल दिया। जो यूनियन के मुख्य पदाधिकारी थे उनको झूँठी चार्ज शीटें तथा वारनिंग नोटिस दिये गये व जुर्माने करना शुरू कर दिया।

अभी एक चपरासी नानूराम अपने नजदीकी रिश्तेदार के शादी में केजुअल छुट्टी जाकर आया तो उसको जबानी हुकम देकर ड्यूटी पर लेने तक इन्कार कर दिया। कर्मचारियों की छुट्टियां बाकी होनेपर भी नहीं दी जाती है और गैर हाजिरी करके वेतन काट लिया जाता है। सफाई में काम करनेवाली औरतों को प्रसूतिकाल में छह सप्ताह की छुट्टी देनेका नियम है लेकिन उनको भी पूरा अवकाश नहीं दिया जाता है।

श्री चेयरमैन महोदय पक्षपात पर अब तो हद से ज्यादा नीचे स्तर पर उतर गये हैं। १ मई ५६ से आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट (हैड क्लर्क) की खाली पोस्ट पर एक नये क्लर्क श्री वासुदेव की नियुक्ति कर दी गई है जब कि इस पोस्ट पर इस कर्मचारी से पहले श्री सरदारमल महरोत्रा, किशोरसिंह तथा सोहनलाल माथुर आदिका हक है। इनमें और भी कर्मचारी हो सकते हैं। इनकी सर्विस, काबलियत, वेतन दर तथा अन्य सब बातों से इनका हक बनता है लेकिन इसका भी ध्यान नहीं देकर सिर्फ अपने गुट के लोगों को खुश करने के लिए इस प्रकार नाजायज नियुक्तियां की जा रही है। जो सरासर अन्याय और खुला भ्रष्टाचार है।

यूनियन की कार्य समिति ने तारीख १० मई ५६ को एक प्रस्ताव पास करके मांग की है कि गैर कानूनी निकाले गये कर्मचारियों को शीघ्र काम पर लेकर पूरा वेतन दिया जाय। कर्मचारियों पर किया जानेवाला दमन बन्द किया जाय। आफिस सुपरिटेन्डेन्ट की पोस्ट पर वैधानिक तरीके से हकवाले कर्मचारी को नियुक्त किया जाय तथा प्रसूतिकाल की व अन्य छुट्टियां कायदे के अनुसार दी जाय।

इन मांगोंको हासिल करने के लिये यूनियन सतर्क और सजग है तथा कर्मचारियों से संगठित होने का आह्वान करती है।

तथा चेयरमैन महोदय से भी अपील करती है कि यह दमन का रास्ता छोड़कर कर्मचारियोंके साथ न्याय करो। आप जो चेयरमैन तीन सालके लिए बने हैं वो जनता के विश्वास पर बने हैं उसके साथ विश्वासघात की कोशिश मत कीजिये।

बोर्ड के माननीय सदस्यगणों से भी अपील है कि आप ही की ताकत का नाजायज फायदा उठाकर चेयरमैन महोदय ने किशनगढ़ नगरपालिका के कर्मचारियों में आतंक जमा रखा है जिसको खत्म कराओ और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करो।

साथ ही राज्य सरकार से भी अपील है कि इस प्रकार जुल्म करने वाले चेयरमैन पर अंकुश लगावें और कानून का पालन करने के लिये बाध्य करें जब कोई केश श्रम अदालत में हो तो कर्मचारियों की सर्विस कन्डीशन में परिवर्तन करने का कोई हक नहीं है। औद्योगिक विवाद एक्ट १९४७ के अन्तर्गत इस तरह कानून व न्याय व्यवस्था को भंग करके शहरमें अशांति फैलाने का मुजरिम श्री चन्द्रदासजी पुरोहित हैं।

यूनियन ने आजतक न्याय व्यवस्था को ध्यान में रखकर वैध तरीकों के आधार पर कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ी है। लेकिन जनता और सरकार फैसला करे कि कानून मजदूर तोड़ता है या समाज के ये उच्च कहलाने वाले पढ़े लिखे न्याय की व्याख्या करने वाले श्रीमान लोग!

आपका—

ता० ३०-५-५९ कामरेड भैरूँराम

श्री केवल कृष्ण प्रिं० प्रेस, मदनगंज। किशनगढ़ म्युनिसिपल कर्मचारी यूनियन
मदनगंज (किशनगढ़)

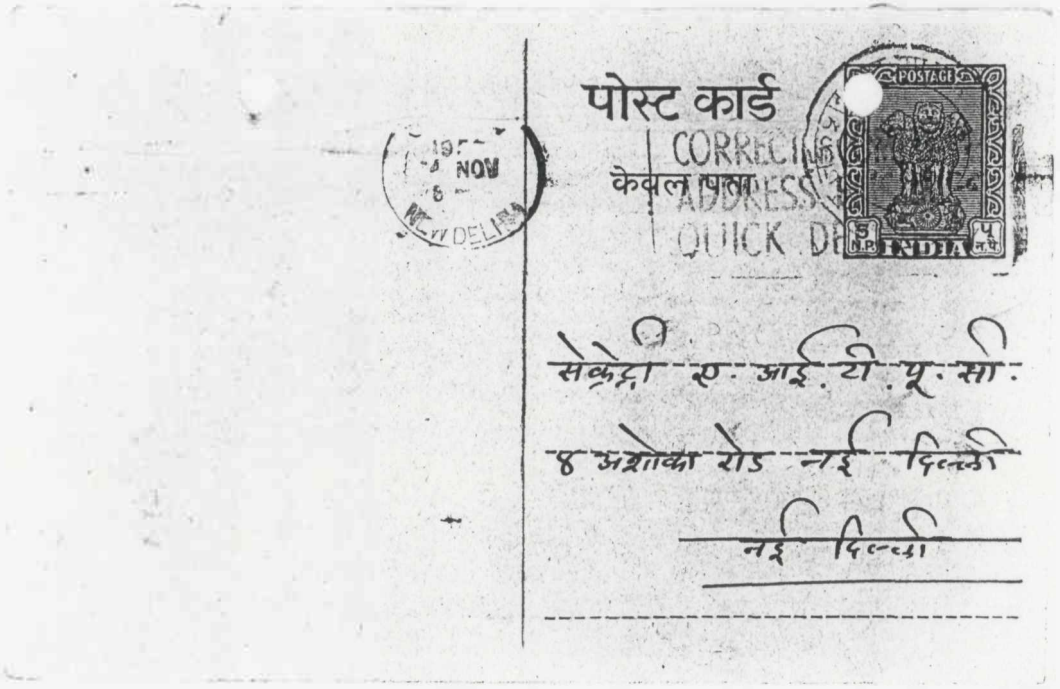

पोस्ट कार्ड

केवल पता

19[illegible] 4 NOV 6 NEW DELHI

CORREC[illegible]
ADDRESS[illegible]
QUICK DE[illegible]

POSTAGE
5 N.P. INDIA

सेक्रेट्री ए. आई. टी. यू. सी.

४ अशोका रोड नई दिल्ली

नई दिल्ली

र.नं. ३९ रामगंज मंडी.

- 4 NOV 1959 दि० २-११-५९

प्रिय कॉमरेड, 56

आपको कष्ट देने का साहस कर रहा हूँ कृपया आप अपने यहाँ से निम्न लिखित सूचना देने का कष्ट करें।

(क) मंहगाई की मांग के लिये हमारी सभा लड़ रही है आँकड़ों की आवश्यकता है इसलिये सम्बन्धित आँकड़े भेजने का कष्ट करें।

Pl. [illegible] [illegible] [illegible]

शुभ कामनाओं के साथ

आपका —

पं. विद्यासागर शर्मा

मंत्री

स्टोन पोलिश फेक्टरी मजदूर सभा

[illegible] (कोटा)

[illegible] / [illegible]

भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के नाम

❀ खुला पत्र ❀

कोटा शक्कर कांड के अपराधी अविलम्ब गिरफ्तार किये जावें

कागजात-स्टाक-बैंक बेलेन्स जब्त हो

●●

जनता को उचित मूल्यों पर चीजें मिलती रहने के भारत सरकार के कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम १९५५ के तहत राजस्थान सरकार ने प्रदेश में सस्ती शकर मिलने व व्यापारियों पर अकुंश रखने हेतु शुगर लायसेन्सिग कन्ट्रोल आर्डीनेन्स १९५९ लागू किया। कि जिसका उल्लंघन कर व सरकार को धोखा देकर भारत के राष्ट्रपति महोदय को (जर्ये डाईरेक्टोरेट ऑफ शुगर नई दिल्ली, फार्म नम्बर F. २-३/५९ Dis.) दरख्वास्तें देकर इकरार नामे किये और जुलाई से अब तक ५७ बैगन शक्कर कोटा जिले में कुछ व्यक्तियों के एक गिरोह ने तथा कुछ व्यापारियों ने आयात की जो कि भारत सरकार के एक्स्ट्रा आर्डीनरी गजट पार्ट II सेक्शन ३ सब सेक्शन (i) न्यू देहली १६ जुलाई १९५९ में प्रकाशित आदेश नं० G. S. R. ८३७/ ESS. Com. के मुताबिक मूल्यों पर ही बेचना चाहिये था न कि इससे अधिक पर लेकिन इन व्यक्तियों के गिरोह ने कलेक्टर कोटा व अन्य अधिकारियों से सांठ-गाँठ कर अधिक भावों पर बेचा यही नहीं बिना लायसेंस वालों के इस गिरोह ने नई फर्म बनाकर बिना लायसेन्स काम किया। दूसरों के लायसेन्स नम्बर ३१ का उपयोग किया और इस तरह शकर को आयात कर बेचने वालों ने राजस्थान सुगर लायसेन्सिग कन्ट्रोल आर्डीनेन्स १९५९ एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम १९५५ दोनों ही कानूनों की सर्वथा अवज्ञा की।

यही नहीं सरकार को धोखा भी दिया और इस तरह जिले के कई पूंजीपतियों ने हजारों रुपया चोर बाजारी करके व धोखा देकर कमाया और कमा रहे हैं कोई रोकने वाला नहीं। इन सभी बातों की जाँच करने व अपराधियों को दण्ड देने की माँग लगभग तीन माह पूर्व से निरन्तर की जाती रही। लगाये गये आरोप भारत सरकार के मिलों को दिये गये अलोटमेंट रिलीज आर्डर की प्रतिलिपियां; व कोटा कलेक्टरी के रिकार्ड से, तथा सिटी मजिस्ट्रेट व शकर जाँच कमेटी को इनके द्वारा दिये गये रेकार्ड से राजस्थान बैंक के रेकार्ड से, रिटेल व्यापारियों को दिये गये बिलों से स्पष्ट तौर पर साबित होकर सामने भी आ चुके हैं जिन्हें भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा दबाये जाने का असफल प्रयास किया जा रहा है और इन अपराधियो को दण्ड देना तो दूर रहा इन चोर बाजारियों व धोखेबाजों से ही नवम्बर का माल मंगवाकर और अधिक धन कमाने देने व कानून की धज्जियां उड़ाते रहने की खुली छूट दे दी। जब कि विधिवत एसोसियेशन बनाकर उसके द्वारा ही नया काम करवाया जाना तै हो चुका और जिसके अनुसार ११-११-५९ को कलेक्टरी से एसो० बनाने व उसके द्वारा नया काम शकर के आयात करने का स्पष्ट उल्लेख है फिर भी अमल विपरीत होना एक गम्भीर एवं विचारनीय प्रश्न है।

अगर सरकार कानून बनाकर पालन नहीं करा सकती तो फिर कानून बनाने से फायदा ही क्या ? अलावा इसके कि जनता भुलावे में रहे और शोषण करने वाले करते रहें। क्या किसी कानून में पूंजीपतियों को छूट दिये जाने के विशेष अधिकार किसी अधिकारी को दिये गये हैं ? जहाँ तक मेरा ख्याल है ऐसी बात नही है। भारत संघ में पूर्ण प्रजातन्त्रीय शासन है यहाँ पर हर कानून गरीब अमीर सब पर समान रूप से लागू है और यही समझकर मैंने मांग की है कि शकर कांड के चोरबाजारी व धोखेबाज व भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को तुरन्त गिरफ्तार किया जावे। इनके सम्पूर्ण रेकार्ड कागजात आदि सम्पूर्ण स्टाक, सम्पूर्ण बैंक बेलेन्स, अन्य सम्बन्धित सामान आदि अविलम्ब जब्त किये जावें और इन राजद्रोही, राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोहियों को कठोर दण्ड दिया जाकर प्रजातन्त्रीय कानूनों की रक्षा की जावे।

कोटा दि० २७-११-५९

विनीत—

पुष्पचन्द्र जैन

आदर्श प्रेस, कोटा]

भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के नाम खुला पत्र संख्या २

शक्कर काण्ड के अपराधियों की गिरफ्तारी में विलम्ब क्

क्या अपराधों में अभी कमी है ?

क्या अधिकारी मामले को दबाना चाहते हैं ?

(१) कोटा डिवीजन को "टेन्डरों द्वारा शक्कर की वितरण योजना में उचित स्थान नहीं दिया इस पर व्यापार संघ कोटा द्वारा राजस्थान सरकार व भारत सरकार से निवेदन किया व व्यापार संघ के नेतृत्व में डिविजन के शकर व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल २१-७-५६ को केन्द्रीय खाद्यमंत्री से नई दिल्ली में मिला और अपनी सभी मांगे स्वीकार करवाई।

(२) जयपुर सरकार ने निम्न [illegible] शकर कलेक्टर कोटा को जिले के शक्कर लायसेन्स [illegible] की एसोसियेशन बनाने को कहा:—

प्रतिलिपि तार

No F. S (2) Ind (a) supply 59 please form one Assosiat-ion of Licensed sugar Dealers in your District and licensed it and send names of Association to saim Chief Dyrector sugar New Delhi by to morrow Ley Telegram. Comraj

(३) कलेक्टरी कोटा में दि० २३-७-५६ को श्री कलेक्टर द्वारा शकर लायसेन्सदारों की मीटिंग बुलाई और उसमें सरकार की नीति; जिले में शकर के लायसेन्सदारों द्वारा शकर आयात किये जाने के आदेश व नियम व तरीके आदि पर प्रकाश डाल कर व्यापारियों से एसो० बनाने व उसका नाम बताने को कहा गया।

(४) तदनुकूल व्यापारियों की एक बैठक उसी समय कलेक्ट्री में हुई कि जिसमें निम्न कार्रवाई हुई:—

आज दिनाँक २३-७-५६ को दिन के ४ बजे कोटा जिले के शक्कर के लायसेन्सदारों की एक बैठक कलक्ट्री में हुई निम्न उपस्थिति थी। सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि शक्कर के व्यापारियों का एक एसोसियेशन बनाया जाय जिसका नाम दि० कोटा डिस्ट्रिक्ट शुगर मर्चेन्टस एसोसियेशन रहेगा। इसके संयोजक श्री घाँसीलाल जी सर्व सम्मति से चुने गये तथा एसोसियेशन का विधान बनाने के लिये निम्न उप समिति निर्वाचित की गई। (१) श्री घाँसीलाल जी संयोजक (२) श्री पुष्पचन्द जी (३) श्री माणक चन्द जी पालीवाल (४) श्री गुरुदीप्सिंह जी (५) श्री माणक चन्द जी (६) श्री रतनलाल जी प्रभुलाल जी (७) श्री सत्यपाल जी

यह उप समिति विधान तय्यार करके साधारण सभा के सामने २७-७-५६ को दिन के २ बजे पुराने सिनेमा हाल में उपस्थित करेगी। साधारण सभा २३-७-५६ तक के लायसेन्सदारों की होगी। (आगे उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं)

(५) उक्त निश्चयानुसार कन्वीनर श्री घांसीलालाजी ने न तो कोई विधान निर्मात्री समिति की ही बैठकें बुलवाई और ना कोई साधारण सभा ही बुलाई। बल्कि आज तक भी उक्त निर्णय का पालन नहीं हुआ।

(६) कन्वीनर श्री घाँसीलाल जी कलेक्ट्री में दरख्वास्त देकर एसोसियेशन के नाम का लायसेन्स प्राप्त कर लाये और देहली इतला दिलवादी लेकिन इस लायसेन्स के वास्तविक मालिक जिले के दि० २३-७-५६ तक के लायसेन्सदार व्यापारियोंके एसोसियेशन का नामकरण ही तो हुआ एसो० ही कहां।

(७) कन्वीनर श्री घाँसीलाल जी ने कुछ व्यक्तियों का एक [illegible] बनाकर एक नई पार्टनर शिप फर्म बनाई और उसका नाम दि-कोटा डिस्ट्रि[illegible] शुगर मर्चेन्ट एसोसियेशन रक्खा इस फर्म के नाम का आज तक भी को[illegible] जिले का शुगर लायसेन्स नहीं हैं और ना इस फर्म के निम्न २० पार्टनर[illegible] के नामों के ही लायसेन्स हैं:—

१. श्री घाँसीलाल जी २. श्री रामचन्द्र सिन्धी ३. श्री प्रभुनारायण [illegible] ४. श्री राजमल जी जैन ५. श्री नंदकिशोर जी विजय ६. श्री बदरी[illegible] जी गुप्ता ७. श्री नंदलाल जी ८. श्री माणक चन्द जी ९. श्री बेनी प्रसाद [illegible] १०. श्री सोहनलाल जी ११. श्री हजारीलाल जी १२. श्री दीपचन्द जी [illegible] श्री गोरुमल जी १४. श्री रखबचन्द जी लोढा १५. श्री मक्खनलाल जी [illegible] श्री प्रभूलाल जी १७. श्री लालचन्द जी १८. श्री प्रेमचन्द जी १९. [illegible] गुरदेवसिंह जी २०. श्री सत्यपाल जी

(८) श्री कलेक्टर कोटा को जुलाई की २८ या २९ तारीख को एसो[illegible] शन का एक मनमाने तौर पर विधान बनाकर प्रस्तुत कर दिया जिसे [illegible] क्टर कोटा ने ३-८-५६ को मान्यता नहीं दी सदस्यता संबंधी धाराओं में परिवर्तन करने व वहाँ तक एसो० को मान्यता नहीं देने व ऐसा न करने पर दूसरा एसो० बनाने आदि बातों का आदेश दिया। शायद पूंजी [illegible] प्रभाव में श्री कलेक्टरके इस आदेश का पालन नहीं हुआ। एक पदाधिकारि[illegible] की सूची व लगभग २१ लायसेन्स डीलर्स सदस्य एसो० की (झूंठी) सू[illegible] भी कलेक्टर को दी।

(९) अगस्त के प्रथम सप्ताह में शकर का कोटा १५ वेगन का आगया। कि जिसे प्राप्त करने व भविष्य में भी काम करते रहने की चाल उक्त फर्म ने चली और अपने लेटर फार्म पर लायसेन्स न० ३१ छपवाया जो कि व्यापारियों के ऐसो० का था साथ ही लेटर फार्म पर Recognised sugar Importers छपवाया एवं व्यापारियों के एसोसियेशन के नाम का उपयोग करने के लिये The Kota District sugar merchants Assosiation के नाम की मोहरें बनवाई तथा एक प्रेसीडेन्ट व एक सेक्रेट्री भी बन गये पार्टनरशिप फर्म में ऐसे कोई पद नहीं होते हर पार्टनर फर्म के नाम के साथ for लगाकर अपने दस्तखत कर पार्टनर लिखता है।

(१०) उक्त प्रकार से नव निर्मित इस पार्टनर शिप फर्म ने राजस्थान शुगर लायसेन्सिंग कानून १९५६ का उल्लंघन किया, भारत सरकार व राज्य सरकार को धोका देकर अगस्त से नवम्बर तक की नियंत्रित भावों की शकर की लगभग ७० वैगनें प्राप्त की।

(११) इस नव निर्मित फर्म ने अगस्त से अक्टूबर तक की नियं[illegible] भावों की शकर बेचने में भी ब्लेक किया चोर बाजारी की। भारत सर[illegible] के गजट एकस्ट्रा आर्डीनरी पार्ट II, सेक्शन ३, सब सेक्शन (i) दि० १[illegible] जुलाई १९५६ में प्रकाशित आज्ञा न० G. S. [illegible] निम्न [illegible]

e ex Factory Price paid or payable to the sugar
ppling the sugar.

Actual transport a charges Incurred by
ny octroi or other tax paid or payble by
(iv) a sum not exceeding one rupee per maund
ofit and any incidental charges.

अगस्त सितम्बर अक्टूबर व जुलाई की चार महीनों की शकर में लगभग २००००) बीस हजार रुपये का खुला ब्लेक जिसमें से एसो० के नाम की फर्म के तथाकथित अध्यक्ष श्री जी ने ६५००) रु० करीब तो ब्लेक कर अधिक लेना मंजूर भी बताया और अब वह इस कोशिश में लगे हुये हैं कि यह रकम रकार को देदें और किसी तरह इज्जत बचावें। लेकिन आवश्यक नियम कानून के अन्तर्गत तो इस फर्म के सभी भागीदारों को कर अदालत में मुकदमा दायर करना ही पड़ेगा सजा या जुर्माना त ही करेंगी और उसी अनुसार रकम वसूल होगी।

। शकर व्यवसाय की ठेकेदारी व एकाधिपत्य का दम्भ भरने वाले वार प्रमुख व्यापारी १. श्री गोरीलाल माँगीलाल २. श्री प्रेमसिंह ह ३. श्री रामचन्दर उधवदास ४. श्री गणेशलाल गेंदीलाल लगभग ां न जाने कहां से शक्कर ला ला कर ४०) मन से ६४) मन तक भारत सरकार के आदेश न० G.S.R./८३७/E.SS Com. की वह लेना कर चोर बाजारी व ब्लेक कर लाखों रुपया कमाये हैं ल का बिल देते हैं किसी का नहीं देते किसी का बिल कम भाव ई किसी का पूरे भाव का क्या इसी तरह पूंजीपतियों को संरक्षण देने जवादी समाज रचना होगी ?

४) कोटा नगर की १ लाख आबादी में १ अगस्त से ५ नवम्बर तक बोरी शक्कर कन्ट्रोल की दी गई जब कि कोटा एस० डी० ओ० के जिसकी आबादी लगभग २ लाख होगी में २६८ बोरी शकर दी गई देहात वाले शकर खाते ही नहीं होंगे और खाते होंगे तो १।।) १।।।) । खाते होंगे सस्ती शकर का ठेका तो शहर वालों का ही है अगर में भी आबादी के अनुपात से शकर जाती तो फिर ६४) मन चोर ी में कैसे बिकती शायद इन चोर बाजारियों पर इस तरह अधिकारियों ो विशेष कृपा रही है।

(१५) कोटा नगर में कन्ट्रोल की शकर माल गोदाम से डायरेक्ट मेंट वेयरहाऊस में रक्खी जाती है और वहीं से रिटेल दुकानदारों को ाती है लेकिन दि० १२-१०-५६ को वेयरहाऊस से तो कोई शकर निकली और रिटेलर्स को शकर दी गई है यह कहाँ से दी गई। इसी तरह दि० ०-५६ को वेयरहाऊस में १०८ बोरी शकर रक्खी गई। एक वैगन में तो बोरी आई होगी बाकी क्या ब्लेक में बिक गई कहाँ गई? क्या हुआ प्रकार की गड़बड़ से यह तो साबित हो ही जाता है कि मिलों से जो र आती है वह तो खुले बाजार में ६४) तक बिक जाती है और खुले सस्ती हल्की खरीद कर उसकी पूर्ती कर दी जाती है सबूत में रिटेल नों पर सदा ही खराब हल्की पीली भीगी शकर मिली है और मिल । है।

(१६) जुलाई की ७ वैगन शकर में १ वैगन शकर रामचन्दर उधवदास आई थी उसमें से ४० बोरी ब्लैक में बेची थी जाँच की मांग की तुरन्त च नहीं की उसे बाजार से खरीद कर स्टाक पूरा करने का मौका दिया।

(१७) कलेक्टर ने जुलाई की ७ वैगन शकर एसोसियेशन को डिलेवरी लेने का आदेश दिया इस आदेश का क्या हुआ अमल में क्यों नहीं आया। क्या वह शकर उन व्यापारियों के पास ही अभी तक रक्खी है क्योंकि उन्होंने अभी तक भी भाव फिक्स करवाने की कार्यवाही नहीं की और न कलक्ट्री से उन व्यापारियों को बेचने की सूचना दी न भाव ही तय किया।

(१८) भारत सरकार, राज्य सरकार व कलेक्टर कोटा को सर्व प्रथम २५-८-५६ को व उसके बाद बार बार पत्र लिखकर शुगर एसोसियेशन के कागजात जब्त करने की मांग की लेकिन आज तक भी कागजात जब्त न कर अपराधियों को कागजों में परिवर्तन करने व सबूत समाप्त करने की खुली छुट्टी दे रक्खी है। शायद यह सब पूंजी के बल पर ही हो रहा है।

(१९) सर्वोदय सहकारी समिति लिमिटेड रामगंजमण्डी उक्त पूंजीपती फर्म में हजारों रुपया लगाकर क्या सहकारिता के सिद्धान्तों की हत्या नहीं कर रही क्या इसके पदाधिकारी इस आड में अनुचित लाभ नही उठा रहे यह सब करने के लिये रजिस्ट्रार की स्वीकृति क्यों नहीं ली।

(२०) तथा कथित एसोसियेशन ने सरकार को धोखा देकर अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर की शक्कर आयात की और उसे बेचने का मुनाफा १) फी मन के हिसाब से लगभग ३००००) तीस हजार रुपया प्राप्त किया जिसको कि यह पाटनर शिप ... किसी भी प्रकार से पाने व रखने की अधिकारी नहीं है।

(२१) शकर सलाहकार समिति की दि० १०-११-५६ की बैठक के निर्णयानुसार एवं जिलाधीश कोटा की आज्ञा नं० ४७८७-४८४७ दि० ११-११-५६ से तथा कथित एसो० स्वतः ही निरस्त व अवैध हो जाने के बाद भी उसी अपराधी एसो० से ही नवम्बर की १७ वैगन शकर आयात करवाना कहाँ तक उचित है। क्या यह १७ वैगन शकर उक्त प्रकार से विधिवत निर्मित एसो० को तुरन्त डिलेवरी दिलवाकर और उसी के द्वारा बिकवाई जाकर की गई गल्ती की दुरुस्ती की जावेगी।

मेरा भारत सरकार, व राजस्थान सरकार से खुला निवेदन है कि वह अगर भ्रष्टाचार, चोरबाजारी को समाप्त नहीं करना चाहती, समाप्त करने में असमर्थ है या उसे और अधिक पनपाना चाहती है, तो वह कानून बनाना बन्द करे और थोथी नारे बाजी व निर्जीव घोषणायें करना बन्द कर दे और आराम से पूंजीपतियों के हाथों अधिकारियों के संरक्षण में जनता का खुला शोषण होने दे तथा खूनी क्रान्ति के लिये मार्ग प्रस्तुत होने दे।

विनीत

पुष्पचन्द्र जैन

दि० ६-१२-५६

12 DEC 1959

(151)

36-37 Sadulnagar,
Bikaner.
Dt. 4. 12. 59.

56

Dear Com. Srivastava,

Our Palana Union, viz The Palana Colliery Karamchari Union has been recognised by the Rajasthan Govt, who is the employer of Palana Colliery and the recognition of the other Union, viz The Palana Colliery Mazdoor Union, whose patron is Shri (Dr) Jawahar Lal Ajwani, and which is claimed to have affiliation with the INTUC, has been cancelled.

To-day, Shri Mehta of Labour Ministry of the Govt of India was here to inquire into certain complaints of the other Union and he questioned us on the recognition of our Union, such as whether any checking of membership has been done by the Govt before granting recognition or whether the procedure as laid down in the code of discipline has been followed before the recognition of the other union has been with-drawn etc etc.

You are requested to please try to find out as to why reports he asks or what action the Central Govt contemplates to take in this matter. It will be much appreciated if you could inform in time.

With greetings

Yours Comradely

Roshan Lal

of Elec. & Water Workers' Federation.

P.S.

Have you please reminded Com. Krishnan of Tamilnad Electricity Workers' Federation for the meeting of the All India Federation of Electricity Employees.

R Lal

I wrote to Com. Krishnan. I am going to Madras on 26 [illegible] & will speak to him again

[illegible] 12/XII

It is probable that the other union might have complained about recognition being given to your union without complying with the formalities agreed to in the sixteenth I.L.C. Verification of membership & the union with largest membership to be recognised is agreed to in this conference.

Pl. see that the employer says that they have verified membership and this union & yours has largest membership. If the employer defends his action right – otherwise you have [illegible] for verification of membership.

X

टेक्सटाइल लेबर यूनियन, ब्यावर (राज०) (2)

(151)

19 AUG 1959

माननीय
श्रम मंत्री जी
राजस्थान सरकार जयपुर 56

विषय :- एडवर्ड मिल को चालू कराने के सम्बन्ध में और आपकी पक्षपात की नीति के सम्बन्ध में।

प्रिय महाशय

एडवर्ड मिल ब्यावर के सम्बन्ध में आपको बहुत दफा लिखा गया आपको हमारे डेपूटेशन भी मिले जिसमें आपसे मिल को पूरा चालू करवाने के लिये अर्ज किया और मालिक द्वारा की गई चोरियों का भी जिकर किया। लेकिन आपने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है इस सम्बन्ध में एक भी पत्र आपकी तरफ से नहीं। आपकी ये चुप्पी श्रमिकों को दुख दाई साबित हो रही है। आप क्या सोच कर चुप हैं यह हम नहीं कह सकते लेकिन यह हम कह सकते हैं कि इससे श्रमिकों का बड़ा नुकसान हो रहा है। मिल करीब बन्द है। 1300 1400 श्रमिक बेकार है लेकिन सरकार के कान पर जूँ भी नहीं रेंग रही।

इधर नव ज्योति अखबार मे देखने को मिला है कि देहली में मनुभाई शाह के यहाँ कोई मीटिंग हुई जिसमें राजस्थान के उद्योग पति, सरकार के लोग और श्रमिकों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए और कोई विचार विमर्श हुआ।

हमें इसके सम्बन्ध में ये अर्ज करना है कि टेक्सटाइल श्रमिकों के सम्बन्ध में बात हो और मजदूर प्रतिनिधि श्री बृजमोहनलाल जी शर्मा इंटक से वहाँ को गया है? आपको मालूम है राजस्थान भर के केन्द्र पर इन्टक अल्पमत में है। पाली में, ब्यावर में, भीलवाड़े में अल्पमत में है। श्री गंगानगर और जयपुर में इन्टक है ही नहीं तो फिर मजदूर प्रतिनिधि श्री बृजमोहनलाल जी को बुलाने की आपने कैसे सिफारिश की। इस प्रकार आप इन्टक अल्पमत वालों के लिये बेजां पक्षपात कर रहे हैं। ताकि इन्टक यह कह सके देखो दूसरों को तो कोई बुलाता ही नहीं बात तो हम से ही कर रहे हैं और हम ही मिल चालू करवा सकते हैं आप सब इन्टक में आजाओ जैसा कि अभी ब्यावर में इन्टक ने कहना शुरू किया है। आप की ये नीति क्या गैर दलीय फैसलों से मेल खाती है। आपकी चुप्पी और किसी पत्र का उत्तर नहीं देना क्या ये नैतिक बात है? ये मजदूर विरोधी रवैया आपने किस प्रकार अपनाया है यह आप जानें लेकिन ये तरीका उचित नहीं। इसलिये मेहरबानी करके इस मीटिंग का आप खुलासा कीजिये और एडवर्ड मिल के सम्बन्ध में आपने और सरकार ने क्या किया है उसकी जानकारी दीजिये।

आशा है आप हमारे पत्रों को उत्तर शीघ्र देंगे धन्यवाद

आपका
[signature]
प्रधान मंत्री
टेक्सटाइल लेबर
यूनियन ब्यावर

नकल :- 1. माननीय मुख्य मंत्री जी जयपुर
2. केन्द्रीय श्रम मंत्री जी देहली
3. श्री मनुभाई शाह उद्योग मंत्री देहली
4. - कोठारी M.P. - A.I.T.U.C देहली
5. - मंत्री जी इन्टक हेड आफिस देहली